

लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक




सीखने के परिणाम

इस अध्याय के अध्ययन के बाद आप सक्षम होंगे:

- ❑ लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया, उनके निष्कासन, त्यागपत्र, पात्रता, योग्यता, अयोग्यता और पारिश्रमिक को समझने में
- ❑ लेखा परीक्षकों की शक्तियों और कर्तव्यों को जानने में
- ❑ आप लेखा-परीक्षक वाली सेवाओं और कुछ ऐसी सेवाओं के बारे में जान पाएंगे जो एक लेखा-परीक्षक प्रदान नहीं कर सकता है।

अध्याय अवलोकन



1. परिचय

बड़े व्यावसायिक निगमों का प्रबंधन निदेशकों द्वारा किया जाता है जो बोर्ड के माध्यम से कंपनी के वास्तविक मालिक सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी भी जाँच के अभाव में निदेशक संगठन के वित्त का कुप्रबंधन कर सकते हैं। इस प्रकार, सदस्य कंपनी के वित्तीय मामलों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को देखने के लिए लेखा-परीक्षक / लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। ये लेखा-परीक्षक कंपनी के प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं। इसलिए, वे कंपनी की वित्तीय स्थिति पर एक निष्पक्ष राय व्यक्त कर सकते हैं।

2. लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति [धारा 139]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 में लेखा परीक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान है। इस धारा के अनुसार:

(i) लेखा-परीक्षक की नियुक्ति [धारा 139(1)]:

- (a) प्रत्येक कंपनी पहली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में किसी व्यक्ति या फर्म को कंपनी के लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त करेगी।

उदाहरण 1: राशैल टेकलैब्स प्राइवेट लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निगमित किया गया था। कंपनी की पहली एजीएम 30.09.2020 को आयोजित की गई। कंपनी ने बाद के सांविधिक लेखा-परीक्षक के रूप में 5 वर्ष की अवधि के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म रैम्स एंड एसोसिएट्स को नियुक्त किया।

- (b) लेखा-परीक्षक पहली एजीएम के समापन से अपनी छठी एजीएम के समापन तक और उसके बाद प्रत्येक छठी एजीएम के समापन तक पद पर रहेगा। एजीएम में कंपनी के सदस्यों द्वारा लेखा परीक्षकों के चयन का तरीका और प्रक्रिया कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के तहत निर्धारित की गई है।
- (c) लेखापरीक्षकों के चयन और नियुक्ति की रीति और प्रक्रिया:

(1)

कंपनियों की श्रेणियाँ	सक्षम प्राधिकारी	सक्षम प्राधिकारी का उत्तरदायित्व
एक कंपनी जिसे धारा	लेखा परीक्षा समिति	(i) सक्षम प्राधिकारी लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए

177 ¹ के तहत एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करना आवश्यक है		प्रस्तावित व्यक्ति या फर्म की योग्यता और अनुभव को ध्यान में रखेगा और ऐसी योग्यताएं और अनुभव कंपनी के आकार और आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।
एक कंपनी जिसे धारा 177 के तहत एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करने की आवश्यकता नहीं है	निदेशक मंडल	

(2)

कंपनियों की श्रेणियाँ	सक्षम प्राधिकारी	सक्षम प्राधिकारी का उत्तरदायित्व
एक कंपनी जिसे धारा 177 के तहत एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करना आवश्यक है	लेखा परीक्षा समिति	समिति विचार के लिए बोर्ड को लेखा-परीक्षक के रूप में किसी व्यक्ति या फर्म के नाम की सिफारिश करेगी
एक कंपनी जिसे धारा 177 के तहत एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करने की आवश्यकता नहीं है	निदेशक मंडल	बोर्ड नियुक्ति के लिए एजीएम में सदस्यों के लिए एक व्यक्ति या एक फर्म को लेखा-परीक्षक के रूप में विचार और सिफारिश करेगा

¹ जिन कंपनियों को लेखा परीक्षा कमेटी का गठन करने की आवश्यकता होती है,

लेखा परीक्षा कमेटी के गठन के उद्देश्य से, अधिनियम की धारा 177 को *कंपनी (बोर्ड और उसकी शक्तियों की बैठक) नियम, 2014* के प्रावधान के साथ पढ़ें:

प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों और कंपनियों के निम्नलिखित वर्गों के निदेशक मंडल एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करेंगे -

- दस करोड़ रुपये की चुकता पूंजी के साथ सभी सार्वजनिक कंपनियां या ;
- एक सौ करोड़ रुपये या अधिक का कारोबार करने वाली सभी सार्वजनिक कंपनियां;
- सभी सार्वजनिक कंपनियां, जिनके पास कुल, बकाया ऋण या उधार या ऋणपत्र या जमा राशि पचास करोड़ रुपये या उससे अधिक है।

स्पष्टीकरण: चुकता अंश पूंजी या टर्नओवर या बकाया ऋण, या उधार या ऋणपत्र या जमा, जैसा भी मामला हो, जैसा कि पिछले लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों की तारीख को विद्यमान है, को इस नियम के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

- (3) यदि बोर्ड लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश से सहमत है, तो वह एजीएम में सदस्यों को लेखा-परीक्षक के रूप में किसी व्यक्ति या फर्म की नियुक्ति की सिफारिश करेगा।
- (4) यदि बोर्ड लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश से असहमत है, तो वह इस तरह की असहमति के कारणों का हवाला देते हुए पुनर्विचार के लिए समिति को सिफारिश वापस भेज देगा।
- (5) यदि लेखा परीक्षा समिति, बोर्ड द्वारा दिए गए कारणों पर विचार करने के बाद, अपनी मूल सिफारिश पर पुनर्विचार नहीं करने का निर्णय लेती है, तो बोर्ड समिति के साथ अपनी असहमति के कारणों को दर्ज करेगा और एजीएम में सदस्यों के विचार के लिए अपनी सिफारिश भेजेगा; और यदि बोर्ड लेखा परीक्षा समिति की सिफारिशों से सहमत है, तो वह इस मामले को एजीएम में सदस्यों द्वारा विचार के लिए रखेगा।

उदाहरण 2: लेखा परीक्षा समिति ने सूर्या सोलर लिमिटेड के बोर्ड में सांविधिक लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए केपीएम एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म की सिफारिश की। हालाँकि, कंपनी का बोर्ड लेखा परीक्षा कमेटी की सिफारिश से असहमत था। ऐसी स्थिति में, बोर्ड इस तरह की असहमति के कारणों का हवाला देते हुए पुनर्विचार के लिए समिति को सिफारिश वापस भेज देगा।

- (d) नियुक्ति किए जाने से पहले, ऐसी नियुक्ति के लिए लेखा-परीक्षक की लिखित सहमति और लेखा-परीक्षक से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा कि नियुक्ति, यदि की गई है, तो निर्धारित शर्तों के अनुसार होगी।

नियुक्ति की शर्तें और रजिस्ट्रार को नोटिस: नियम 4 के साथ पठित धारा 139(1) के दूसरे प्रावधान के अनुसार, नियुक्ति से पहले लेखा-परीक्षक की लिखित सहमति ली जानी चाहिए। नियुक्त लेखा-परीक्षक एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि -

- (A) व्यक्ति या फर्म (जैसा भी मामला हो) नियुक्ति के लिए पात्र है और अधिनियम, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 और उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के तहत नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं है;
- (B) प्रस्तावित नियुक्ति अधिनियम के तहत प्रदान की गई अवधि के अनुसार है;
- (C) प्रस्तावित नियुक्ति अधिनियम के अधिकार के तहत या उसके तहत निर्धारित सीमा के भीतर है;

- (D) लेखा-परीक्षक या लेखा-परीक्षक फर्म या लेखा परीक्षा फर्म के किसी भी भागीदार के खिलाफ आचरण के पेशेवर मामलों के संबंध में लंबित कार्यवाही की सूची, जैसा कि प्रमाण पत्र में प्रकटीकरण किया गया है, सत्य और सही है।
- (e) प्रमाणपत्र यह भी इंगित करेगा कि क्या लेखा-परीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 [धारा 141 में लेखा-परीक्षक की पात्रता, योग्यता और अयोग्यता पर प्रावधान प्रदान करता है, जिस पर बाद में चर्चा की जाएगी] में दिए गए मानदंडों को पूरा करता है।
- (f) लेखा-परीक्षक को संचार: इसके अलावा कंपनी संबंधित लेखा-परीक्षक को उसकी नियुक्ति के बारे में सूचित करेगी, और बैठक के 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के साथ ऐसी नियुक्ति के बारे में एक नोटिस (फॉर्म एडीटी -1 में) भी दाखिल करेगी जिसमें लेखा-परीक्षक नियुक्त किया जाता है।
- यहाँ, "नियुक्ति" में पुनः नियुक्ति शामिल है।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नियम, 2018 (एनएफआरए नियम)

एनएफआरए नियमों के नियम 3 (2) के अनुसार, एनएफआरए नियमों द्वारा शासित कंपनी के अलावा, प्रत्येक मौजूदा निकाय कॉर्पोरेट, शुरू होने के 30 दिनों के भीतर फॉर्म एनएफआरए -1 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) को लेखा परीक्षकों के विवरण के बारे में सूचित करेगा।

एनएफआरए नियमों के नियम 3(3) के अनुसार, भारत में गठित और एनएफआरए नियमों के तहत शासित और अधिनियम की धारा 2 के खंड (20) में परिभाषित कंपनी के अलावा हर निगमित निकाय एनएफआरए को धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत एक लेखा-परीक्षक की नियुक्ति के 15 दिनों के भीतर फॉर्म एनएफआरए -1 में सूचित करेगा। उस प्रपत्र में निगमित निकाय द्वारा नियुक्त लेखा-परीक्षक का विवरण शामिल होगा। बशर्ते कि एनएफआरए नियमों के उप-नियम (1) के खंड (e) के तहत शासित कोई कॉर्पोरेट निकाय फॉर्म एनएफआरए-1 में अपने लेखा-परीक्षक की नियुक्ति का विवरण प्रदान करेगा।

(ii) लेखा-परीक्षक की अवधि [अनुभाग 139(2)]:

(a) धारा 139(2) में प्रावधान है कि सूचीबद्ध कंपनियां और अन्य निर्धारित वर्ग या कंपनियों के वर्ग (एक व्यक्ति कंपनियों और छोटी कंपनियों को छोड़कर) नियुक्त या पुनर्नियुक्त नहीं करेंगे –

- (1) लेखा-परीक्षक के रूप में, किसी व्यक्ति को पाँच क्रमवर्ती वर्षों की एक पदावधि से अधिक के लिए, और

- (2) लेखा-परीक्षक के रूप में किसी लेखा परीक्षा फर्म को पाँच क्रमवर्ती वर्षों की दो पदावधि से अधिक के लिए
- (b) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 5 ने धारा 139 (2) के प्रयोजनों के लिए कंपनियों के निम्नलिखित वर्गों को निर्धारित किया है:
- (1) 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक की चुकता अंश पूंजी वाली सभी गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियां;
 - (2) 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक की चुकता अंश पूंजी वाली सभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां;
 - (3) सभी कंपनियां जिनके पास उपरोक्त (2) और (3) में उल्लिखित सीमा से नीचे की अंश पूंजी है, लेकिन वित्तीय संस्थानों, बैंकों या सार्वजनिक जमा से 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक की सार्वजनिक उधारी है।
- (c) **शीतलन अवधि:**
- (1) एक व्यक्तिगत लेखा-परीक्षक जिसने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है (अर्थात् लगातार पाँच वर्षों का एक कार्यकाल) अपनी अवधि के पूरा होने से पाँच वर्षों के लिए उसी कंपनी में लेखा-परीक्षक के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा;
 - (2) एक लेखा परीक्षा फर्म जिसने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है (यानी लगातार पाँच वर्षों की दो शर्तें) ऐसी अवधि के पूरा होने से पाँच वर्ष के लिए उसी कंपनी में लेखा-परीक्षक के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगी।

उदाहरण 3: एक्सवाईजेड लिमिटेड, जो एक सूचीबद्ध कंपनी है, श्री राघव को अपनी एजीएम दिनांक 29 सितंबर, 2016 में एक लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त करती है। श्री राघव इस बैठक के समापन से छठी एजीएम यानी एजीएम के समापन तक लेखा-परीक्षक का पद संभालेंगे। वर्ष 2021 में आयोजित किया जाएगा। अब उप-धारा (2) के अनुसार, श्री राघव को एक्सवाईजेड लिमिटेड में अगले पाँच वर्षों की अवधि के लिए लेखा-परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त नहीं किया जाएगा। यानी उन्हें वर्ष 2026 तक एक्सवाईजेड लिमिटेड में लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

उदाहरण 4: एक्सवाईजेड लिमिटेड, जो एक सूचीबद्ध कंपनी है, ने 29 सितंबर, 2016 को अपनी एजीएम में मेसर्स राघव एंड एसोसिएट्स को एक लेखा परीक्षा फर्म के रूप में नियुक्त किया। मेसर्स राघव एंड एसोसिएट्स इस बैठक के समापन से वर्ष 2021 में होने वाली छठी एजीएम के समापन तक पद पर रहेंगे। अब उप-धारा(2) के अनुसार, मेसर्स राघव एंड एसोसिएट्स को नियुक्त किया जा सकता है या फिर से- पाँच वर्ष की

एक और अवधि यानी वर्ष 2026 तक के लिए लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। वर्ष 2026 से वर्ष 2031 के बाद अगले पाँच वर्षों की अवधि के लिए इसे एक्सवाइजेड लिमिटेड में लेखा परीक्षा फर्म के रूप में फिर से नियुक्त नहीं किया जाएगा।

- (d) इसके अलावा, नियुक्ति की तिथि के अनुसार, किसी भी लेखा परीक्षा फर्म का एक सामान्य साझेदार या अन्य लेखा परीक्षा फर्म के साझेदार, जिसका कार्यकाल वित्तीय वर्ष से ठीक पहले किसी कंपनी में समाप्त हो गया है, को उसी कंपनी के लेखा-परीक्षक के रूप में पाँच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा।

उदाहरण 5: मैसर्स कृष्णा एंड एसोसिएट्स एक लेखा परीक्षा फर्म है जिसके 2 पार्टनर हैं जिनके नाम मिस्टर कृष्णा और मिस्टर श्याम हैं। श्री श्याम मैसर्स कुकरेजा एंड एसोसिएट्स नामक एक अन्य लेखा परीक्षा फर्म के भी भागीदार हैं। मैसर्स कृष्णा एंड एसोसिएट्स को कंपनी गोल्डन स्मिथ लिमिटेड में वर्ष 2016 से वर्ष 2026 तक लगातार दो अवधियों के लिए लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। अब, यदि गोल्डन स्मिथ लिमिटेड मैसर्स कुकरेजा एंड एसोसिएट्स को अपनी लेखा परीक्षा फर्म के रूप में नियुक्त करना चाहता है, तो वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि श्री श्याम दोनों लेखा परीक्षा फर्मों के बीच साझा भागीदार हैं। यह निषेध केवल 5 वर्षों के लिए अर्थात् वर्ष 2031 तक है। 5 वर्षों के बाद, गोल्डन स्मिथ लिमिटेड मैसर्स कुकरेजा एंड एसोसिएट्स या मैसर्स कृष्णा एंड एसोसिएट्स को अपना लेखा-परीक्षक नियुक्त कर सकता है।

- (e) **संक्रमणकालीन अवधि:** प्रत्येक कंपनी, जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर या उससे पहले मौजूद है, जिसे उपर्युक्त बिंदुओं (a) से (d) (यानी इस उप-धारा के प्रावधानों) में उल्लिखित प्रावधानों का पालन करने की आवश्यकता है, उन प्रावधानों का अनुपालन एक के भीतर करेगी अवधि जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से तीन वर्ष के बाद, धारा 96 की उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर आयोजित कंपनी की पहली एजीएम की तारीख के बाद की नहीं होगी।"
- (f) यह भी प्रदान किया जाता है कि उपर्युक्त बिंदुओं (a) से (d) (यानी यह उप-धारा) में निहित कुछ भी कंपनी के लेखा-परीक्षक को हटाने के अधिकार या कंपनी के ऐसे कार्यालय से इस्तीफा देने के लिए लेखा-परीक्षक के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।

(iii) लेखा-परीक्षक का रोटेशन [धारा 139(3) और (4)]:

- (a) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कंपनी के सदस्य निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए संकल्प कर सकेगी कि –

- (1) किसी लेखापरीक्षा फर्म में उसके द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षा भागीदार और उसकी टीम को ऐसे अंतरालों पर, जैसा सदस्यों द्वारा संकल्प पारित किया जाए, चक्रानुक्रमित किया जाएगा, या
 - (2) लेखापरीक्षा एक से अधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा की जाएगी।
- (b) केन्द्रीय सरकार नियमों द्वारा ऐसी रीति विहित कर सकेगी, जिसमें कंपनियां उपधारा (2) के अनुसरण में अपने लेखा-परीक्षकों को रोटेशन करेगी।
- (c) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के तहत प्रदान की गई अवधि की समाप्ति पर कंपनियों द्वारा लेखा परीक्षकों के रोटेशन का तरीका:
- (1) लेखा परीक्षा समिति बोर्ड को एक व्यक्तिगत लेखा-परीक्षक या एक लेखा परीक्षा फर्म के नाम की सिफारिश करेगी जो ऐसे पदधारी की अवधि की समाप्ति पर मौजूदा लेखा-परीक्षक की जगह ले सकता है।
 - (2) जहाँ एक कंपनी को एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करने की आवश्यकता होती है, बोर्ड ऐसी समिति की सिफारिश पर विचार करेगा, और अन्य मामलों में, बोर्ड स्वयं लेखा परीक्षकों के रोटेशन के मामले पर विचार करेगा और सदस्यों द्वारा अगले लेखा-परीक्षक की नियुक्ति के लिए अपनी सिफारिश करेगा।
 - (3) लेखा परीक्षकों के रोटेशन के प्रयोजन के लिए:
 - (i) एक लेखा-परीक्षक के मामले में (चाहे कोई व्यक्ति हो या अंकेक्षण फर्म), जिस अवधि के लिए व्यक्ति या फर्म ने अधिनियम के प्रारंभ से पहले लेखा-परीक्षक के रूप में पद धारण किया है, उसे लगातार पाँच वर्षों या दस वर्षों की अवधि की गणना के लिए ध्यान में रखा जाएगा।
 - (ii) इनकमिंग लेखा-परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म पात्र नहीं होगी यदि ऐसा लेखा-परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म आउटगोइंग लेखा-परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म के साथ लेखा परीक्षा फर्मों के एक ही नेटवर्क के तहत जुड़ा हो।
शब्द "समान नेटवर्क" में एक ही ब्रांड नाम, व्यापार नाम या सामान्य नियंत्रण के तहत अब तक या भविष्य में संचालन या कार्य करने वाली फर्म शामिल हैं।
 - (iii) लेखा परीक्षकों के रोटेशन के उद्देश्य से:
 - (a) लगातार पाँच वर्ष की अवधि के लिए एक ब्रेक को रोटेशन की आवश्यकता को पूरा करने के रूप में माना जाएगा।

- (b) यदि एक भागीदार, जो एक लेखा परीक्षा फर्म का प्रभारी है और कंपनी के वित्तीय विवरणों को प्रमाणित भी करता है, उक्त फर्म से सेवानिवृत्त होता है और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की किसी अन्य फर्म में शामिल होता है, तो ऐसी अन्य फर्म भी पाँच वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त होने के लिए अपात्र होगी।

व्यक्तिगत लेखा-परीक्षक के मामले में रोटेशन की व्याख्या करने वाला उदाहरण:

लगातार वर्षों की संख्या जिसके लिए एक व्यक्तिगत लेखा-परीक्षक एक ही कंपनी में लेखा-परीक्षक के रूप में कार्य कर रहा है [धारा 139 (2) के प्रावधानों के शुरु होने के बाद आयोजित पहली एजीएम में]	लगातार वर्षों की अधिकतम संख्या जिसके लिए उसे एक ही कंपनी में नियुक्त किया जा सकता है (संक्रमणकालीन अवधि सहित)	कॉलम I और II को देखते हुए कुल अवधि जिसे लेखा-परीक्षक उसी कंपनी में पूरा करेगा
I	II	III
5 वर्ष (या 5 वर्ष से अधिक)	3 वर्ष	8 वर्ष या उससे अधिक
चार वर्ष	3 वर्ष	7 वर्ष
3 वर्ष	3 वर्ष	6 वर्ष
2 वर्ष	3 वर्ष	5 वर्ष
1 वर्ष	चार वर्ष	5 वर्ष

यहाँ,

- (a) व्यक्तिगत लेखा-परीक्षक में अन्य व्यक्ति या फर्म शामिल होंगे जिनके नाम या ट्रेडमार्क या ब्रांड का उपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, यदि कोई हो।
- (b) लगातार वर्षों का मतलब उन सभी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों से होगा जिनके लिए व्यक्तिगत लेखा-परीक्षक पाँच वर्ष या उससे अधिक का ब्रेक होने तक लेखा-परीक्षक रहा है।

लेखा परीक्षा फर्म के मामले में रोटेशन की व्याख्या करने वाला उदाहरण

लगातार वर्षों की संख्या जिसके लिए एक लेखा परीक्षा फर्म एक ही कंपनी में लेखा-परीक्षक के रूप	लगातार वर्षों की अधिकतम संख्या जिसके लिए फर्म को एक ही कंपनी	कॉलम I और II को देखते हुए कुल
--	--	-------------------------------

में कार्य कर रही है [धारा 139 (2) के प्रावधानों के शुरू होने के बाद आयोजित पहली एजीएम में]	में नियुक्त किया जा सकता है (संक्रमणकालीन अवधि सहित)	अवधि जो फर्म उसी कंपनी में पूरी करेगी
I	II	III
10 वर्ष (या 10 वर्ष से अधिक)	3 वर्ष	13 वर्ष या उससे अधिक
9 वर्ष	3 वर्ष	12 वर्ष
8 वर्ष	3 वर्ष	11 वर्ष
7 वर्ष	3 वर्ष	10 वर्ष
6 वर्ष	4 वर्ष	10 वर्ष
5 वर्ष	5 वर्ष	10 वर्ष
4 वर्ष	6 वर्ष	10 वर्ष
3 वर्ष	7 वर्ष	10 वर्ष
2 वर्ष	8 वर्ष	10 वर्ष
1 वर्ष	9 वर्ष	10 वर्ष


यहाँ,

- (a) लेखा परीक्षा फर्म में अन्य फर्म शामिल होंगे जिनके नाम या ट्रेडमार्क या ब्रांड का उपयोग फर्म या उसके किसी भागीदार द्वारा किया जाता है।
- (b) लगातार वर्षों का मतलब उन सभी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों से होगा जिनके लिए फर्म लेखा-परीक्षक रही है जब तक कि पाँच साल या उससे अधिक का ब्रेक न हो।
- (4) जहाँ एक कंपनी ने दो या दो से अधिक व्यक्तियों या फर्मों या उनके संयोजन को संयुक्त लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है, कंपनी लेखा परीक्षकों के रोटेशन का पालन इस तरह से कर सकती है कि दोनों या सभी संयुक्त लेखा-परीक्षक एक ही वर्ष में अपना कार्यकाल पूरा नहीं करते हैं।
- (d) यहाँ, शब्द "फर्म" में सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत शामिल एक सीमित देयता भागीदारी शामिल होगी।

(iv) प्राथमिक लेखा-परीक्षक [धारा 139(6)]:

- (a) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, सरकारी कंपनी से भिन्न किसी कंपनी का प्रथम लेखा-परीक्षक, कंपनी के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीस दिन के भीतर निदेशक बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा और किसी लेखा-परीक्षक को नियुक्त करने में बोर्ड

के असफल रहने की दशा में वह कंपनी के सदस्यों को सूचित करेगा, जो किसी असामान्य असाधारण अधिवेशन में नब्बे दिन के भीतर ऐसे लेखा-परीक्षक की नियुक्ति करेंगे। उक्त लेखा-परीक्षक प्रथम वार्षिक साधारण अधिवेशन के समाप्त होने तक पद धारण करेगा।



उदाहरण 6: यूनिर्कॉर्न स्टील प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना 02.06.2020 को हुई, कंपनी के निदेशक मंडल ने 15.06.2020 को बोर्ड की बैठक आयोजित की, जिसमें जैन अजमेरा एंड एसोसिएट्स को 5 साल की अवधि के लिए कंपनी के पहले लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(6) के अनुसार, बोर्ड कंपनी के पंजीकरण की तारीख से 30 दिनों के भीतर पहले निदेशक की नियुक्ति करेगा। उपरोक्त स्थिति की वैधता बताएं।

- (i) अमान्य
- (ii) आम बैठक में अंश धारक के अनुमोदन के बाद मान्य
- (iii) केंद्र सरकार के अनुमोदन के बाद ही मान्य

उत्तर: दी गई स्थिति अर्थात विकल्प (iii) अमान्य है

- (b) यदि बोर्ड अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में विफल रहता है अर्थात पहले लेखा-परीक्षक की नियुक्ति में विफल रहता है, तो वह कंपनी के सदस्यों को सूचित करेगा और कंपनी 90 दिनों के भीतर एक असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में पहले लेखा-परीक्षक की नियुक्ति कर सकती है। और ऐसा लेखा-परीक्षक पहली एजीएम के समापन तक पद पर बना रहेगा।

उदाहरण 7: पीक्यूआर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक स्वयं श्री गणपति, एक चार्टर्ड एकाउंटेंट, को कंपनी के पहले लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं। प्रबंध निदेशक की प्रस्तावित कार्रवाई पर टिप्पणी करें।

उत्तर: प्रावधान और स्पष्टीकरण: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (6) में प्रावधान है कि "कंपनी के पहले लेखा-परीक्षक या लेखा परीक्षकों को कंपनी के पंजीकरण की तारीख से 30 दिनों के भीतर निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया जाएगा"। वर्तमान मामले में, पीक्यूआर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक द्वारा श्री गणपति, एक चार्टर्ड एकाउंटेंट को प्रथम लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त करना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(6) का उल्लंघन है। कंपनी अधिनियम, 2013 में एक प्रावधान है कि निदेशक मंडल कंपनी के पहले लेखा-परीक्षक की नियुक्ति करेगा।

निष्कर्ष: उपरोक्त को देखते हुए, पीक्यूआर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक स्वयं कंपनी के पहले लेखा-परीक्षक की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं।

(v) आकस्मिक रिक्ति को भरना [धारा 139(8)]:

- (a) बोर्ड 30 दिनों के भीतर एक लेखा-परीक्षक के कार्यालय में किसी भी आकस्मिक रिक्ति को भर सकता है, लेकिन जहाँ ऐसी रिक्ति एक लेखा-परीक्षक के इस्तीफे के कारण होती है, ऐसी नियुक्ति को कंपनी द्वारा तीन महीने के भीतर बुलाई गई आम बैठक में भी अनुमोदित किया जाएगा।
- (b) आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त कोई भी लेखा-परीक्षक अगली वार्षिक आम बैठक के समापन तक पद पर रहेगा।

लेखा परीक्षक की आकस्मिक रिक्ति

30 दिनों के भीतर बोर्ड द्वारा आकस्मिक रिक्ति को भरना

यदि रिक्ति इस्तीफे के कारण होती है - बोर्ड की सिफारिश के 3 महीने के भीतर बोर्ड द्वारा नियुक्ति को कंपनी द्वारा एजीएम में भी अनुमोदित किया जाएगा।

इस प्रकार नियुक्त लेखापरीक्षक अगली एजीएम के समापन तक पद पर बने रहेंगे।

उदाहरण 8: प्रकाश कैरियर्स लिमिटेड ने 30 सितंबर, 2019 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में श्री रमन को अपना लेखा-परीक्षक नियुक्त किया। प्रारंभ में, उन्होंने नियुक्ति को स्वीकार किया। लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से 31 अक्टूबर, 2019 को अपने पद से इस्तीफा दे

दिया। निदेशक मंडल श्री अल्बर्ट को लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त करके रिक्ति को भरने के लिए सलाह चाहता है।

वर्तमान मामले में, जैसा कि लेखा-परीक्षक ने इस्तीफा दे दिया है, इस प्रकार सृजित आकस्मिक रिक्ति को श्री अल्बर्ट को नियुक्त करने वाले बोर्ड द्वारा भरा जा सकता है। हालाँकि, श्री अल्बर्ट की नियुक्ति को कंपनी की सामान्य बैठक में एक साधारण प्रस्ताव पारित करके कंपनी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, जिसे बोर्ड की सिफारिश के 3 महीने के भीतर बोर्ड द्वारा बुलाया जाना चाहिए। श्री अल्बर्ट अगली वार्षिक आम बैठक के समापन तक पद धारण करने के हकदार होंगे।


(vi) सरकारी कंपनी या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किसी अन्य कंपनी के मामले में लेखा परीक्षकों की नियुक्ति [धारा 139(5), 139(7) और 139(8)]

(a) धारा 139(5) के अनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक (सीएजी), एक वित्तीय वर्ष के संबंध में, इस अधिनियम के तहत कंपनियों के लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए विधिवत योग्य एक लेखा-परीक्षक नियुक्त करेंगे:

(1) एक सरकारी कंपनी; या

(2) केंद्र सरकार द्वारा, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित कोई अन्य कंपनी।

(b) वित्तीय वर्ष की शुरुआत से 180 दिनों की अवधि के भीतर लेखा-परीक्षक नियुक्त किया जाएगा। नियुक्त लेखा-परीक्षक वार्षिक आम बैठक के समापन तक पद पर बने रहेंगे।



(c) **प्रथम लेखा-परीक्षक [धारा 139(7)]:**

- (1) उपधारा (1) या उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी, किसी सरकारी कंपनी या केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या भागतः केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा भागतः एक या अधिक राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य कंपनी की दशा में प्रथम लेखा-परीक्षक की नियुक्ति भारत के नियंत्रक - महालेखा-परीक्षक द्वारा कंपनी के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से साठ दिन के भीतर की जाएगी।
- (2) यदि भारत का नियंत्रक - महालेखा-परीक्षक उक्त अवधि के भीतर ऐसे लेखा-परीक्षक की नियुक्ति नहीं करता है तो कंपनी का निदेशक बोर्ड अगले तीस दिन के भीतर ऐसे लेखा-परीक्षक की नियुक्ति करेगा।
- (3) अगले तीस दिन के भीतर ऐसे लेखा-परीक्षक की नियुक्ति करने के बोर्ड के असफल रहने की दशा में, वह, कंपनी के सदस्यों को सूचित करेगा जो असामान्य असाधारण अधिवेशन में साठ दिन के भीतर ऐसे लेखा-परीक्षक को नियुक्त करेंगे, जो पहले वार्षिक साधारण अधिवेशन के समाप्त होने तक पद धारण करेगा।

(d) **आकस्मिक रिक्ति [धारा 139(8)]:**

- (1) एक कंपनी के मामले में जिनके खाते सीएजी द्वारा नियुक्त एक लेखा-परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के अधीन हैं, एक लेखा-परीक्षक की आकस्मिक रिक्ति को 30 दिनों के भीतर सीएजी द्वारा भरा जाएगा।
- (2) यदि सीएजी उक्त अवधि के भीतर रिक्ति को नहीं भरता है, तो निदेशक मंडल अगले 30 दिनों के भीतर रिक्ति को भरेगा।

(vii) **सेवानिवृत्त लेखा-परीक्षक की पुनर्नियुक्ति [धारा 139(9), (10) और (11)]:**

- (a) एक सेवानिवृत्त लेखा-परीक्षक को एजीएम में फिर से नियुक्त किया जा सकता है यदि-
 - (1) वह पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं है;
 - (2) उसने पुनर्नियुक्त किए जाने के लिए अपनी असहमति की लिखित में सूचना, कंपनी को नहीं दे दी है; और
 - (3) किसी अन्य लेखा-परीक्षक की नियुक्ति करने वाला या स्पष्ट रूप से यह उपबंध करने वाला कोई विशेष संकल्प, कि वह पुनर्नियुक्त नहीं किया जाएगा, उस अधिवेशन में पारित नहीं किया गया है।
- (b) जहाँ किसी वार्षिक साधारण अधिवेशन में किसी लेखा-परीक्षक की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति नहीं की जाती है, वहाँ विद्यमान लेखा परीक्षा, कंपनी के लेखा-परीक्षक के रूप में बना रहेगा।

(viii) **लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश [धारा 139(11)]:**

जहाँ कंपनी द्वारा धारा 177 के अधीन किसी लेखा परीक्षा समिति का गठन अपेक्षित है, वहाँ ऐसी सभी नियुक्तियां, जिनके अंतर्गत इस धारा के अधीन किसी लेखा-परीक्षक की आकस्मिक रिक्ति का भरा जाना भी है, उस समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् की जाएंगी। एनएफआरए नियमों के अनुसार, नियम 3 में संदर्भित प्रत्येक लेखा-परीक्षक को एनएफआरए के साथ हर साल 30 अप्रैल को या उससे पहले ऐसे फॉर्म में रिटर्न दाखिल करना होगा जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

एनएफआरए नियमों के अनुसार, छात्रों की समझ के लिए निम्नलिखित प्रावधान प्रासंगिक हैं:

लेखा परीक्षा मानकों के अनुपालन की निगरानी और प्रवर्तन -

- (1) नियम 3 के तहत शासित किसी कंपनी या कॉरपोरेट निकाय द्वारा अधिनियम के तहत लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुपालन की निगरानी और अनुपालन के लिए, एनएफआरए यह कर सकता है:
 - (i) लेखा परीक्षा से संबंधित कार्य पत्रों (लेखा परीक्षा योजना और अन्य लेखा परीक्षा दस्तावेजों सहित) और संचार की समीक्षा कर सकता है;
 - (ii) लेखा-परीक्षक की गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और लेखा-परीक्षक द्वारा प्रणाली के प्रलेखन के तरीके का मूल्यांकन; तथा
 - (iii) लेखा-परीक्षक के लेखा परीक्षा, पर्यवेक्षी और गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं के ऐसे अन्य परीक्षण करना जो आवश्यक या उचित समझे जाएं।
- (2) एनएफआरए को लेखा-परीक्षक की गुणवत्ता को बढ़ावा देने, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने और लेखा-परीक्षक की विफलता के जोखिम सहित जोखिमों को कम करने के लिए डिज़ाइन की गई अपनी शासन प्रथाओं और आंतरिक प्रक्रियाओं पर रिपोर्ट करने के लिए एक लेखा-परीक्षक की आवश्यकता हो सकती है और एनएफआरए रिपोर्ट पर ऐसी कार्रवाई कर सकता है जो आवश्यक हो।
- (3) एनएफआरए लेखा परीक्षा के संचालन के संबंध में स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है या अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए लेखा-परीक्षक की व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए बोल सकता है।
- (4) एनएफआरए संबंधित उद्योग की लेखापरीक्षा में पर्याप्त अनुभव वाले अपने अधिकारियों या विशेषज्ञों के माध्यम से अपनी निगरानी और प्रवर्तन गतिविधियों का निष्पादन करेगा।
- (5) एनएफआरए गैर-अनुपालन से संबंधित अपने निष्कर्षों को अपनी वेबसाइट पर और ऐसे अन्य तरीके से प्रकाशित करेगा, जैसा कि वह उचित समझे, जब तक कि उसके पास सार्वजनिक हित में ऐसा न करने के कारण हों और यह लिखित रूप में कारणों को दर्ज करता है।
- (6) एनएफआरए मालिकाना या गोपनीय जानकारी तब तक प्रकाशित नहीं करेगा, जब तक कि उसके पास जनहित में ऐसा करने का कारण न हो और वह लिखित में कारणों को दर्ज न करे।
- (7) एनएफआरए अपनी जानकारी के लिए केंद्र सरकार को मालिकाना या गोपनीय जानकारी वाली एक अलग रिपोर्ट भेज सकता है।
- (8) जहाँ एनएफआरए को यह पता चलता है या विश्वास करने का कारण है कि लेखा-परीक्षक ने किसी कानून या पेशेवर या अन्य मानक का उल्लंघन किया है या उल्लंघन कर सकता है, तो

वह अपने संबंधित डिवीजन के माध्यम से जाँच या प्रवर्तन कार्रवाई के आगे के पाठ्यक्रम पर निर्णय ले सकता है।

सेवा की गुणवत्ता की निगरानी करना और सुधार के उपाय सुझाना (एनएफआरए नियमों के अनुसार)

- (1) अपनी समीक्षा के आधार पर, एनएफआरए एक लेखा-परीक्षक को गुणवत्ता में सुधार के लिए उपाय करने का निर्देश दे सकता है, जिसमें उनकी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं, गुणवत्ता नियंत्रण और लेखा-परीक्षक रिपोर्ट में बदलाव शामिल हैं और एनएफआरए समय-सीमा के साथ एक विस्तृत योजना निर्दिष्ट कर सकता है।
- (2) लेखा-परीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आवश्यक सुधार करे और एनएफआरए को एक रिपोर्ट भेजे जिसमें बताया गया हो कि उसने एनएफआरए द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कैसे किया है।
- (3) एनएफआरए लेखा-परीक्षक द्वारा किए गए सुधारों की निगरानी करेगा और लेखा-परीक्षक द्वारा की गई प्रगति के आधार पर ऐसी कार्रवाई करेगा जो वह उचित समझे।
- (4) एनएफआरए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के तहत गठित गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड को नियम 3 में संदर्भित कंपनियों या निगमित निकायों के लेखा परीक्षकों की सेवा की गुणवत्ता की निगरानी के संबंध में मामलों को संदर्भित कर सकता है। एनएफआरए ऐसे लेखापरीक्षकों या कंपनियों या निगमित निकायों के संबंध में ऐसे बोर्ड से कोई रिपोर्ट या सूचना मांग सकता है जो वह उचित समझे।
- (5) एनएफआरए अपनी निगरानी और निगरानी गतिविधियों के लिए विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है।



3. लेखा-परीक्षक को हटाना, त्यागपत्र देना और विशेष नोटिस देना [धारा 140]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 140 में लेखा-परीक्षक को हटाने, इस्तीफा देने और विशेष नोटिस देने का प्रावधान है। इस धारा के अनुसार:


- (i) अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले लेखा-परीक्षक को हटाना [धारा 140(1)]:
 - (a) धारा 139 के तहत नियुक्त लेखा-परीक्षक को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले केवल कंपनी के एक विशेष संकल्प द्वारा और केंद्र सरकार² की पिछली मंजूरी प्राप्त

² क्षेत्रीय निदेशक को अधिकार दिए गए हैं

करने के बाद फॉर्म एडीटी -2 में आवेदन करके हटाया जा सकता है और यह आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ करना होगा।

- (b) बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव के 30 दिनों के भीतर केंद्र सरकार को आवेदन किया जाएगा।
- (c) कंपनी विशेष प्रस्ताव पारित करने के लिए केंद्र सरकार के अनुमोदन की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर आम बैठक आयोजित करेगी।
- (d) **सुनवाई का अवसर देना (ऑडी अल्टरम पार्टम):** अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले लेखा-परीक्षक को हटाने के लिए कोई कार्रवाई करने से पहले, संबंधित लेखा-परीक्षक को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।

लेखा-परीक्षक को हटाने हेतु उठाए जाने वाले कदम




उदाहरण 9: चार्टर्ड एकाउंटेंट श्री सुरेश को एबी लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा प्रथम लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। कंपनी ने सामान्य बैठक में श्री सुरेश को बिना केंद्र सरकार की मंजूरी लिए हटा दिया और श्री गुप्ता को उनके स्थान पर लेखा-परीक्षक नियुक्त किया। निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त पहले लेखा-परीक्षक को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 140(1) के प्रावधान के अनुसार हटाया जा सकता है। इसलिए, इस मामले में पहले लेखा-परीक्षक को हटाना अमान्य है। कंपनी ने अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

(ii) लेखा-परीक्षक द्वारा इस्तीफा [धारा 140(2) & (3)]

- (a) यदि लेखा-परीक्षक ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है, तो वह ऐसे इस्तीफे की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर कंपनी और रजिस्ट्रार के साथ एडीटी -3 के रूप में एक बयान दर्ज करेगा।

- (b) लेखा-परीक्षक अपने इस्तीफे के संबंध में प्रासंगिक कारणों और अन्य तथ्यों को बयान में इंगित करेगा।
- (c) केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सरकारी कंपनियों या कंपनियों के मामले में, लेखा-परीक्षक कंपनी और रजिस्ट्रार के साथ सीएजी के साथ ऐसा विवरण दाखिल करेगा जिसमें उनके इस्तीफे के संबंध में प्रासंगिक कारणों और अन्य तथ्यों का उल्लेख होगा।
- (d) **उल्लंघन के लिए दंड:** यदि अंकेक्षक पूर्वोक्त प्रावधान का पालन नहीं करता है, तो वह ₹50,000 का जुर्माना या लेखा-परीक्षक के पारिश्रमिक के बराबर राशि, जो भी कम हो, और निरंतर विफलता के मामले में उत्तरदायी होगा, पहले दिन के बाद प्रत्येक दिन के लिए ₹500 के एक और दंड के साथ, जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है के लिए उत्तरदायी होगा लेकिन ₹2 लाख से कम होगा।



(iii) सेवानिवृत्त लेखा-परीक्षक के अलावा अन्य लेखा-परीक्षक की नियुक्ति [धारा 140(4)]

- (a) सेवानिवृत्त होने वाले लेखा-परीक्षक से भिन्न किसी व्यक्ति की लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्ति करने या अभिव्यक्त रूप से यह उपबंध करने संबंधी किसी संकल्प के लिए कि, सेवानिवृत्त होने वाले लेखा-परीक्षक की, तब के सिवाय पुनर्नियुक्ति नहीं की जाएगी जब सेवानिवृत्त होने वाले लेखा-परीक्षक ने धारा 139 की उपधारा (2) के अधीन यथा उपबंधित यथास्थिति, पाँच वर्ष या दस वर्ष की क्रमवर्ती अवधि पूरी कर ली है, वार्षिक साधारण अधिवेशन में विशेष सूचना अपेक्षित होगी।
- (b) ऐसे संकल्प की सूचना प्राप्त होने पर कंपनी, तुरंत उसकी एक प्रति सेवानिवृत्त होने वाले लेखा-परीक्षक को भेजेगी।
- (c) जहाँ ऐसे किसी संकल्प की सूचना दी जाती है और सेवानिवृत्त होने वाला लेखा-परीक्षक उस संबंध में कंपनी को लिखित में अभ्यावेदन करता है (युक्तियुक्त विस्तार से अधिक

का न हो) और कंपनी के सदस्यों से अपनी अधिसूचना में कोई अनुरोध करता है वहाँ कंपनी तब तक जब तक कि उसके द्वारा ऐसा करने के लिए अभ्यावेदन विलंब से प्राप्त नहीं होते—


- (1) कंपनी के सदस्यों को दिए गए संकल्प की किसी सूचना में किए गए अभ्यावेदनों के तथ्य का कथन करेगी और
 - (2) अभ्यावेदनों की एक प्रति कंपनी के उस प्रत्येक सदस्य को भेजेगी जिसको अधिवेशन की सूचना भेजी जाती है चाहे कंपनी द्वारा अभ्यावेदन पहले प्राप्त हुए हैं या बाद में,
- (d) यदि प्रतिनिधित्व की एक प्रति पूर्वोक्त के रूप में नहीं भेजी जाती है क्योंकि यह बहुत देर से प्राप्त हुई थी या कंपनी की चूक के कारण नहीं भेजी जाती है तो लेखा-परीक्षक बैठक में इस प्रतिनिधित्व को (मौखिक रूप से सुने जाने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना) पढ़ेगा।
- (e) हालाँकि, यदि प्रतिनिधित्व की एक प्रति पूर्वोक्त के रूप में नहीं भेजी जाती है, तो उसकी एक प्रति रजिस्ट्रार के पास दायर की जाएगी।
- (f) यदि प्राधिकृत कंपनी या किसी अन्य पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर संतुष्ट है कि इस उप-धारा द्वारा प्रदत्त अधिकारों का लेखा-परीक्षक द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, तो प्रतिनिधित्व की प्रति नहीं भेजी जा सकती है और प्रतिनिधित्व बैठक में पढ़ने की जरूरत नहीं है।
- (iv) लेखा-परीक्षक कपटपूर्ण तरीके से कार्य करता है या किसी धोखाधड़ी में उकसाया या मिलीभगत करता है [धारा 140(5)]
- (a) प्राधिकरण की संतुष्टि पर कि किसी कंपनी के लेखा-परीक्षक ने कपटपूर्ण तरीके से काम किया है आदि: इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत किसी भी कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, प्राधिकरण या तो—

- स्वतः संज्ञान लेना; या
- केंद्र सरकार द्वारा इसे किए गए आवेदन पर; या
- संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा,

यदि यह संतुष्ट है कि किसी कंपनी के लेखा-परीक्षक ने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कपटपूर्ण तरीके से काम किया है या कंपनी या उसके निदेशकों या अधिकारियों के संबंध

में किसी धोखाधड़ी में उकसाया या मिलीभगत किया है, तो वह आदेश द्वारा, कंपनी को अपने लेखा परीक्षकों को बदलने का निर्देश देगा।

- (b) **लेखा-परीक्षक के परिवर्तन की आवश्यकता:** यदि आवेदन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और अधिकरण संतुष्ट है कि लेखा-परीक्षक के किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता है, तो वह इस तरह के आवेदन की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर एक आदेश देगा। यह आदेश देगा कि वह लेखा-परीक्षक के रूप में कार्य नहीं करेगा तथा केन्द्र सरकार उसके स्थान पर अन्य लेखा-परीक्षक नियुक्त कर सकती है।
- (c) **नियुक्त किए जाने वाले लेखा-परीक्षक की अपात्रता:** एक लेखा परीक्षक, चाहे वह व्यक्ति हो या फर्म, जिसके खिलाफ इस धारा के तहत प्राधिकरण द्वारा अंतिम आदेश पारित किया गया है, 5 साल की अवधि के लिए किसी भी कंपनी के लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होगा। आदेश पारित होने की तारीख से और लेखा-परीक्षक भी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 447 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
- (d) **स्पष्टीकरण I.** - एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि एक फर्म के मामले में, दायित्व फर्म का होगा और प्रत्येक भागीदार या भागीदारों का होगा, जिन्होंने कपटपूर्ण तरीके से काम किया या किसी धोखाधड़ी में या उसके संबंध में कंपनी या उसके निदेशक या अधिकारियों को उकसाया या मिलीभगत की।
- (e) **स्पष्टीकरण II.** इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए "लेखा-परीक्षक" शब्द में लेखा परीक्षकों की एक फर्म शामिल है।



उदाहरण 10: रियल एस्टेट और ऊर्जा के कारोबार में लगी एफएलपी लिमिटेड ने हजारों करोड़ रुपये के अपने उधार पर चूक की। 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान, कंपनी के विभिन्न लेनदेन के संबंध में एक धोखाधड़ी का प्रकटीकरण किया गया था और केंद्र सरकार द्वारा यह देखा गया था कि कंपनी के लेखा-परीक्षक इस तरह की धोखाधड़ी में शामिल थे। कृपया सुझाव दें कि इस मामले में क्या कार्रवाई हो सकती है।

उत्तर: केंद्र सरकार ऐसे मामले के संबंध में प्राधिकरण में आवेदन कर सकती है, जिसमें कहा गया है कि लेखा-परीक्षक कंपनी के लेखा-परीक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने में बुरी तरह विफल रहे। यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि लेखा-परीक्षक कंपनी के साथ धोखाधड़ी में शामिल था, तो प्राधिकरण कंपनी को अपने लेखा परीक्षकों को बदलने का निर्देश दे सकता है और वे लेखा-परीक्षक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 447 के तहत, 5 साल के लिए किसी भी कंपनी के लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त होने के योग्य नहीं होंगे और कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी होंगे।



4. लेखा परीक्षकों की पात्रता, योग्यता और अयोग्यता [धारा 141]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 में लेखा परीक्षकों की पात्रता, योग्यता और अयोग्यता का प्रावधान है। यह धारा संबंधित है:

(i) एक लेखा-परीक्षक की योग्यता [धारा 141(1) & (2)]:

- कोई व्यक्ति किसी कंपनी के लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए केवल तभी पात्र होगा, यदि वह चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के अर्थ में चार्टर्ड एकाउंटेंट है।
- कोई ऐसी फर्म जिसके भारत में व्यवसायरत अधिकतर भागीदारों को, जो पूर्वोक्त रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित हैं, उनकी फर्म के नाम से कंपनी का लेखा-परीक्षक 4 नियुक्त किया जा सकेगा।
- जहाँ किसी फर्म, जिसके अन्तर्गत सीमित दायित्व भागीदारी भी है, की किसी कंपनी के लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्ति की जाती है, वहाँ केवल वे भागीदार, जो व्यवसायरत चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं, फर्म की ओर से कार्य करने और हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत होंगे।

(ii) लेखा परीक्षकों की अयोग्यता [धारा 141(3)]:

- कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 10 के साथ पठित अधिनियम की धारा 141 (3) के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति कंपनी के लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होंगे—
 - सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सीमित दायित्व भागीदारी से भिन्न कोई निगमित निकाय;
 - कंपनी का कोई अधिकारी या कर्मचारी;
 - ऐसा कोई व्यक्ति, जो भागीदार है या जो कंपनी के किसी अधिकारी या कर्मचारी के नियोजन में है;

उदाहरण 11: श्री अनिल, एक चार्टर्ड एकाउंटेंट, एक फर्म के भागीदार हैं और उन्हें सितंबर 2018 में आयोजित कंपनी की वार्षिक आम बैठक में लक्ष्मण लिमिटेड के एक लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था जिसमें उन्होंने असाइनमेंट स्वीकार किया था। इसके बाद, जनवरी 2019 में, उन्होंने भारत, एक अन्य चार्टर्ड एकाउंटेंट, जो लक्ष्मण लिमिटेड के प्रबंधक वित्त हैं, को अनिल की फर्म में भागीदार के रूप में शामिल होने की पेशकश की।

उत्तर: प्रावधान और स्पष्टीकरण: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 (3) (c) में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के किसी अधिकारी या कर्मचारी के भागीदार या रोजगार में है, कंपनी के लेखा-परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य होगा। धारा 141 की उप-धारा (4) में प्रावधान है कि एक लेखा-परीक्षक जो अपनी नियुक्ति के बाद धारा 141 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट किसी भी अयोग्यता के अधीन हो जाता है, तब ऐसा माना जाएगा कि उस लेखा-परीक्षक ने अपना पद छोड़ दिया है।

निष्कर्ष: वर्तमान मामले में, अनिल मेसर्स लक्ष्मण लिमिटेड का लेखा-परीक्षक है और लक्ष्मण लिमिटेड का कोई भी कर्मचारी उस फर्म का भागीदार नहीं बन सकता जहाँ अनिल भागीदार है। ऐसी स्थिति में, ऐसा माना जायगा कि उसने/फर्म ने मेसर्स लक्ष्मण लिमिटेड के लेखा-परीक्षक का पद छोड़ दिया है।

(4) व्यक्ति जो, या उसके रिश्तेदार या साथी –

(A) कंपनी या उसकी समनुषंगी की या उसकी नियंत्रि या सहयुक्त कंपनी की या ऐसी नियंत्रि कंपनी की किसी समनुषंगी में कोई प्रतिभूति धारण करता है या उसमें हित रखता है (यानी साथी सहायक):

बशर्ते कि रिश्तेदार के पास कंपनी में प्रतिभूति या ब्याज हो जिसकी अंकित मूल्य ₹1,00,000 से अधिक न हो, जैसा कि कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 10 के तहत निर्धारित है।

इसके अलावा, उपरोक्त शर्त, जहाँ भी प्रासंगिक हो, उस कंपनी के मामले में भी लागू होगी, जिसके पास अंश पूंजी या अन्य प्रतिभूतियां नहीं हैं। यदि रिश्तेदार ₹1,00,000 की निर्धारित सीमा से अधिक कोई सुरक्षा या ब्याज प्राप्त करता है, तो ऊपर निर्दिष्ट सीमाओं को बनाए रखने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई ऐसे अधिग्रहण या ब्याज के 60 दिनों के भीतर लेखा-परीक्षक द्वारा की जाएगी।

उदाहरण 12: "श्री आशीष", एक चार्टर्ड एकाउंटेंट, "एक्सवार्डजेड लिमिटेड" की प्रतिभूतियां धारण कर रहा है। जिसका अंकित मूल्य ₹900/- है। क्या श्री आशीष "एक्सवार्डजेड लिमिटेड" के लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य हैं?

उत्तर: धारा 141 (3) (d) (i) के अनुसार एक लेखा-परीक्षक को लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है यदि वह या उसका रिश्तेदार या साथी कंपनी या उसकी सहायक कंपनी,

उसकी समनुषंगी की या उसकी नियंत्रि या सहयुक्त कंपनी की या ऐसी नियंत्रि कंपनी की किसी समनुषंगी में कोई प्रतिभूति धारण करता है या उसमें हित रखता है:

वर्तमान मामले में, श्री आशीष के पास एक्सवाईजेड लिमिटेड में ₹900 की सुरक्षा है, इसलिए वह "एक्सवाईजेड लिमिटेड" के लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं।

उदाहरण 13: श्री पी जो एक पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट है और श्री क्यू जो श्री पी के रिश्तेदार है, "एबीसी लिमिटेड की रूपए 90,000 अंकित मूल्य की प्रतिभूतियां धारण करते हैं. क्या श्री पी एबीसी लिमिटेड के लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त होने के योग्य हैं?"

उत्तर: धारा 141(3)(d)(i) के अनुसार, एक व्यक्ति एक लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य है यदि वह, या उसके रिश्तेदार या साथी के पास कंपनी या उसकी सहायक कंपनी या उसके होल्डिंग की कोई सुरक्षा या हित है। या सहयोगी कंपनी या ऐसी होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी। इसके अलावा, इस धारा के प्रावधान के अनुसार, व्यक्ति का रिश्तेदार कंपनी में प्रतिभूतियों या ब्याज को अंकित मूल्य की ₹1,00,000 से अधिक नहीं रख सकता है।

वर्तमान मामले में, श्री क्यू (श्री पी के रिश्तेदार) के पास एबीसी लिमिटेड में ₹90,000 अंकित मूल्य की प्रतिभूतियां हैं, जो धारा 141(3)(d)(i) के प्रावधान की आवश्यकता के अनुसार है। इसलिए, श्री पी एबीसी लिमिटेड के लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं होंगे।

उदाहरण 14: मेसर्स बीसी एंड कंपनी एक लेखा परीक्षा फर्म है जिसमें श्री बी और श्री सी के भागीदार हैं, और श्री ए श्री सी के रिश्तेदार हैं, जिनके पास एंडब्ल्यूएफ लिमिटेड की प्रतिभूतियां हैं, जिनका अंकित मूल्य ₹1,01,000 है। क्या मेसर्स बीसी एंड कंपनी एमडब्ल्यूएफ लिमिटेड के लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त होने के योग्य है?

उत्तर: धारा 141(3)(d)(i) के अनुसार, एक व्यक्ति एक लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य है यदि वह, या उसके रिश्तेदार या साथी के पास कंपनी या उसकी सहायक कंपनी या उसके होल्डिंग की कोई सहयोगी कंपनी या ऐसी होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी का सुरक्षा या हित है। इसके अलावा, इस धारा के प्रावधान के अनुसार, व्यक्ति का

रिश्तेदार कंपनी में प्रतिभूतियों या ब्याज को अंकित मूल्य की ₹1,00,000 से अधिक नहीं रख सकता है।

तत्काल मामले में, मेसर्स बीसी एंड कंपनी, एमडब्ल्यूएफ लिमिटेड के एक लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य हो जाएगी क्योंकि श्री सी (यानी मेसर्स बीसी एंड कंपनी के भागीदार) के रिश्तेदार के पास एमडब्ल्यूएफ लिमिटेड में प्रतिभूतियां हैं जो धारा 141(3)(d)(i) के प्रावधान में उल्लिखित सीमा से अधिक है।

- (B) कंपनी, या उसकी सहायक कंपनी, या उसकी होल्डिंग या सहयोगी कंपनी या ऐसी होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी के प्रति 5 लाख रुपये से अधिक का ऋणी है
- (C) कंपनी, या उसकी सहायक कंपनी, या उसकी होल्डिंग या सहयोगी कंपनी या ऐसी होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी को किसी तीसरे व्यक्ति की ऋणग्रस्तता के संबंध में एक गारंटी देती है या कोई सुरक्षा प्रदान की है, जो ₹1 लाख से अधिक है।
- (5) एक व्यक्ति या एक फर्म, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी, या उसकी सहायक कंपनी, या उसकी होल्डिंग या सहयोगी कंपनी या ऐसी होल्डिंग कंपनी या सहयोगी कंपनी की सहायक कंपनी के साथ व्यावसायिक संबंध रखता है। कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के अनुसार, "व्यावसायिक संबंध" शब्द का अर्थ व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किए गए किसी भी लेनदेन के रूप में माना जाएगा, सिवाय-
- (A) वाणिज्यिक लेनदेन जो कि अधिनियम और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 और उन अधिनियमों के तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के तहत एक लेखा-परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म द्वारा प्रदान की जाने वाली व्यावसायिक सेवाओं की प्रकृति में हैं;
- (B) वाणिज्यिक लेन-देन जो कंपनी के व्यापार के सामान्य क्रम में हैं, जैसे कि दूरसंचार, एयरलाइंस, अस्पतालों, होटलों और इसी तरह के अन्य व्यवसायों के कारोबार में लगी कंपनियों द्वारा लेखा-परीक्षक को उत्पादों या सेवाओं की बिक्री।
- (6) एक व्यक्ति जिसका रिश्तेदार एक निदेशक है या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के रूप में कंपनी के रोजगार में है;

- (7) एक व्यक्ति जो कहीं और पूर्णकालिक रोजगार में है या एक व्यक्ति जो एक फर्म का भागीदार है इसके लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्ति रखता है, यदि ऐसे व्यक्ति या भागीदार ऐसी नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति की तिथि पर एक के अलावा 20 से अधिक कंपनियों के लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्ति धारण करते हैं। व्यक्ति कंपनियां, छोटी कंपनियां और निजी कंपनियां जिनकी प्रदत्त अंश पूंजी 100 करोड़ रुपए से कम है।

लेखापरीक्षा की संख्या की उच्चतम सीमा:

किसी भी लेखा-परीक्षक को नियुक्ति दिए जाने से पहले, कंपनी को उससे इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कि नियुक्ति, यदि की जाती है, तो संबंधित लेखा-परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141(3) (g) में निर्धारित सीमा से अधिक कंपनी की लेखा परीक्षा का परिणाम नहीं होगा। जो यह निर्धारित करता है कि एक व्यक्ति जो कहीं और पूर्णकालिक रोजगार में है या एक व्यक्ति या एक फर्म का भागीदार है जो इसके लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्ति रखता है, यदि ऐसा व्यक्ति या भागीदार ऐसी नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति की तिथि पर है एक व्यक्ति कंपनियों, निष्क्रिय कंपनियों, छोटी कंपनियों और निजी कंपनियों के अलावा 20 से अधिक कंपनियों के लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्ति धारण करने वाली निजी कंपनियों के पास चुकता अंश पूंजी ₹100 करोड़ (एमसीए अधिसूचना दिनांक 5 जून 2015) से कम है।

उदाहरण 15: "एबीसी एंड कंपनी" एक लेखा परीक्षा फर्म है जिसके साझेदार हैं "मि ए", "मि. बी" और "मि. सी", चार्टर्ड एकाउंटेंट्स "मि ए", "मि. बी" और "मि. सी" क्रमशः 4, 6 और 10 कंपनियों में एक लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्ति कर रहे हैं।

- (i) "एबीसी एंड कंपनी" के नाम पर शेष लेखा परीक्षा की अधिकतम संख्या प्रदान करें।
- (ii) व्यक्तिगत भागीदार यानी मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी के नाम पर शेष लेखा परीक्षा की अधिकतम संख्या प्रदान करें।
- (iii) क्या एबीसी एंड कंपनी 60 निजी कंपनियों में लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्ति को स्वीकार कर सकती है, जिनकी 2 छोटी कंपनियां और 1 निष्क्रिय कंपनी है और प्रदत्त अंश पूंजी ₹100 करोड़ से कम है?
- (iv) क्या आपका उत्तर अलग होगा, यदि उन 60 निजी कंपनियों में से 45 कंपनियों के पास 1100 करोड़ रुपये की चुकता अंश पूंजी है?

वर्तमान मामले में, श्री ए की 4 कंपनियों में नियुक्ति है, जबकि श्री बी की 6 कंपनियों में नियुक्ति है और श्री सी की 10 कंपनियों में नियुक्ति है। कुल मिलाकर तीनों भागीदारों के पास 20 लेखा परीक्षा हैं।

प्रावधान और स्पष्टीकरण: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141(3)(g) में कहा गया है कि निम्नलिखित व्यक्ति किसी कंपनी के लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे अर्थात् ऐसा व्यक्ति जो कहीं और पूर्णकालिक रोजगार में है; या एक व्यक्ति, या एक फर्म का भागीदार जो इसके लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्ति रखता है, यदि ऐसा व्यक्ति, या भागीदार ऐसी नियुक्ति की तिथि पर है, या एक व्यक्ति कंपनियों, निष्क्रिय कंपनियों के अलावा बीस से अधिक कंपनियों के लेखा-परीक्षक के रूप में पुनर्नियुक्ति धारण करता है, छोटी कंपनियों और निजी कंपनियों की चुकता अंश पूंजी ₹100 करोड़ से कम है।

धारा 141(3)(g) के अनुसार, 20 कंपनी लेखा परीक्षा की यह सीमा प्रति व्यक्ति है। एक लेखा परीक्षा फर्म के 3 पार्टनर होने की स्थिति में, कुल सीलिंग $3 \times 20 = 60$ कंपनी लेखा परीक्षा होगी। कभी-कभी, एक चार्टर्ड एकाउंटेंट कई लेखा परीक्षित फर्मों में भागीदार होता है। ऐसे मामले में, वे सभी फर्मों जिनमें वह भागीदार या मालिक हैं, एक साथ उसके खाते पर 20 कंपनी लेखा परीक्षा की हकदार होंगी।

निष्कर्ष:

- (i) इसलिए, एबीसी एंड कंपनी 40 और कंपनियों के लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्ति कर सकती है:

फर्म के लिए उपलब्ध लेखापरीक्षाओं की कुल संख्या सभी भागीदारों द्वारा पहले से ली गई लेखापरीक्षाओं की संख्या $20 \times 3 = 60$

अपनी व्यक्तिगत क्षमता में $4+6+10 = 20$

फर्म के लिए उपलब्ध लेखापरीक्षा की शेष संख्या $= 40$

- (ii) उपरोक्त प्रावधानों के संदर्भ में एक लेखा-परीक्षक लेखा-परीक्षक के रूप में अधिक नियुक्ति कर सकता है = धारा 141(3)(g) के अनुसार उच्चतम सीमा - पहले से लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्तियां, इसलिए

(1) मि. A होल्ड कर सकता है: $20-4 = 16$ और लेखा परीक्षा।

- (2) मिस्टर B 20-6 = 14 और लेखा परीक्षा कर सकते हैं और
 (3) मिस्टर C 20-10 = 10 और लेखा परीक्षा कर सकते हैं।

टिप्पणियाँ:

ऐसा माना गया है कि प्रश्न में दी गई कंपनियां 100 करोड़ से कम चुकता शेयर पूंजी वाली एकल, निष्क्रिय, छोटी और निजी कंपनियां नहीं हैं।

- (8) एक व्यक्ति जिसे धोखाधड़ी से जुड़े अपराध के लिए अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है और इस तरह की सजा की तारीख से 10 साल की अवधि समाप्त नहीं हुई है;
- (9) एक व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी या उसकी होल्डिंग कंपनी या उसकी सहायक कंपनी को धारा 144 में निर्दिष्ट कोई भी सेवा प्रदान करता है।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से" शब्द का अर्थ धारा 144 के स्पष्टीकरण में दिया गया है (धारा 144 कुछ सेवाओं से संबंधित है जो लेखा-परीक्षक द्वारा प्रस्तुत नहीं की जानी चाहिए)।

(iii) एक लेखा-परीक्षक द्वारा कार्यालय को दिया गया अवकाश [धारा 141(4)]:

यदि किसी कंपनी के लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति धारा 141(3) में निर्दिष्ट किसी भी अयोग्यता को झेलता है, तो उसे अपना पद खाली कर दिया गया माना जाएगा। ऐसे अवकाश को लेखा-परीक्षक के कार्यालय में एक आकस्मिक रिक्ति समझा जाएगा।



5. लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक [धारा 142]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 में लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिकों का प्रावधान है। इस खंड के अनुसार:

- (i) किसी कंपनी के लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक कंपनी द्वारा सामान्य बैठक में या निर्धारित तरीके से तय किया जाएगा।
- (ii) प्रधान लेखा-परीक्षक के मामले में, बोर्ड द्वारा पारिश्रमिक तय किया जा सकता है।
- (iii) उपरोक्त उल्लिखित पारिश्रमिक में, एक लेखा-परीक्षक को देय शुल्क के अतिरिक्त, कंपनी के लेखा-परीक्षण के संबंध में लेखा-परीक्षक द्वारा किए गए व्यय, यदि कोई हों, और उसे दी गई कोई सुविधा शामिल होगी। लेकिन पारिश्रमिक में कंपनी के अनुरोध पर उनके द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए उन्हें भुगतान किया गया कोई पारिश्रमिक शामिल नहीं होगा।

उदहारण 16: SHRD प्राइवेट लिमिटेड सॉफ्टवेयर और कंसल्टेंसी के कारोबार में लगी हुई है। कंपनी का सालाना टर्नओवर 2,000 करोड़ रुपये है लेकिन उद्योग मानकों की तुलना में इसका लाभ मार्जिन बहुत अच्छा नहीं है। 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, कंपनी ने अपने बोर्ड की बैठक में अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा, हालाँकि, पारिश्रमिक को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। सांविधिक लेखा परीक्षकों ने कंपनी और लेखा परीक्षकों के बीच पत्र सहित औपचारिकताओं को पूरा किया और यह निर्णय लिया गया कि पत्र पर बिना शुल्क के हस्ताक्षर किए जाएं यानी इस खंड के साथ कि शुल्क पारस्परिक रूप से तय किया जाना है। इस स्थिति में, ऐसी व्यवस्था के साथ पत्र मान्य है।



6. लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा मानकों की शक्तियाँ और कर्तव्य [धारा 143]

(i) लेखा परीक्षकों की शक्तियाँ [धारा 143(1)]:

- खातों की पुस्तकों और वाउचरों तक पहुंच:** कंपनी के प्रत्येक लेखा-परीक्षक को कंपनी के खातों और वाउचरों तक कभी भी या किसी समय पहुंच का अधिकार होगा, चाहे वह कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में या किसी अन्य स्थान पर रखा गया हो।
- आवश्यक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए हकदार:** वह कंपनी के अधिकारियों से ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण की मांग करने का हकदार होगा जो लेखा-परीक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए आवश्यक है।
- अपनी सभी सहायक कंपनियों के रिकॉर्ड तक पहुंच:** एक कंपनी के लेखा-परीक्षक जो एक होल्डिंग कंपनी है, उसके पास अपनी सभी सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों के रिकॉर्ड तक पहुंच का अधिकार होगा, जहाँ तक यह उसके सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों के साथ अपने वित्तीय विवरणों के समेकन से संबंधित है।

(ii) लेखा परीक्षकों के कर्तव्य

- जाँच के मामले:** लेखा-परीक्षक निम्नलिखित मामलों की जाँच करेगा, अर्थात्-
 - क्या कंपनी द्वारा सुरक्षा के आधार पर दिए गए ऋण और अग्रिम उचित रूप से सुरक्षित किए गए हैं और क्या वे शर्तें जिन पर वे बनाई गई हैं, कंपनी या उसके सदस्यों के हितों के प्रतिकूल हैं;
 - क्या कंपनी के लेन-देन जो केवल पुस्तक प्रविष्टियों द्वारा दर्शाए जाते हैं, कंपनी के हितों के प्रतिकूल हैं;

- (3) जहाँ कंपनी एक निवेश कंपनी या एक बैंकिंग कंपनी नहीं है, क्या कंपनी की इतनी संपत्ति, जिसमें अंश, ऋणपत्र और अन्य प्रतिभूतियां शामिल हैं, उस कीमत से कम कीमत पर बेची गई हैं जिन पर उन्हें खरीदा गया था।
- (4) क्या कंपनी द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम जमा के रूप में दिखाए गए हैं;
- (5) क्या व्यक्तिगत व्यय राजस्व खाते में प्रभारित किए गए हैं;
- (6) जहाँ कंपनी की पुस्तकों और दस्तावेजों में यह कहा गया है कि कोई अंश नकद के लिए आवंटित किया गया है, क्या इस तरह के आवंटन के संबंध में वास्तव में नकद प्राप्त किया गया है, और यदि वास्तव में कोई नकद प्राप्त नहीं हुआ है, तो क्या स्थिति खाता बही में कहा गया है और बैलेंस शीट सही है, नियमित है और भ्रामक तो नहीं है।
- (b) लेखा-परीक्षक कंपनी के सदस्यों को निम्नलिखित पर एक रिपोर्ट देगा:
- (1) उसके द्वारा जांचे गए खातों पर; तथा
- (2) प्रत्येक वित्तीय विवरण पर जो इस अधिनियम के तहत या इसके तहत कंपनी के सामने आम बैठक में रखा जाना आवश्यक है; तथा
- (c) लेखा-परीक्षक रिपोर्ट बनाते समय अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों और मामलों को ध्यान में रखेगा जिन्हें इन प्रावधानों के तहत या किसी आदेश के तहत या धारा 143(11) के तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल करने की आवश्यकता है।
- (d) लेखा-परीक्षक उसके द्वारा जांचे गए खातों और वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करेगा। वह अपने अनुसार और अपनी सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान के अनुसार एक राय व्यक्त करेगा कि क्या उक्त खाते/वित्तीय विवरण कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और लाभ या वर्ष के लिए हानि और नकदी प्रवाह और ऐसे अन्य मामले जो निर्धारित किए जा सकते हैं।
- (e) लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में यह भी कहा जाएगा-
- (1) क्या उसने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए उसकी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे और यदि नहीं तो उसका विवरण और वित्तीय विवरणों पर ऐसी जानकारी का प्रभाव;

- (2) क्या उनकी राय में, कंपनी द्वारा कानूनी रूप से अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की उनकी जाँच से प्रतीत होता है और उनकी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जो उनके द्वारा नहीं देखी गई हैं;
- (3) क्या कंपनी के लेखा-परीक्षक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उप-धारा (8) के तहत लेखापरीक्षित कंपनी के किसी शाखा कार्यालय के खातों की रिपोर्ट उस उप-धारा के प्रावधान के तहत उसे भेजी गई है जिस तरीके से उसने अपनी रिपोर्ट तैयार करने में इसका निपटारा किया है;
- (4) क्या कंपनी की बैलेंस शीट और रिपोर्ट में निपटाए गए लाभ और हानि खाते खाते की किताबों और रिटर्न के साथ समझौते में हैं;
- (5) क्या, उनकी राय में, वित्तीय विवरण लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं;
- (6) वित्तीय लेनदेन या मामलों पर लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों या टिप्पणियों का कंपनी के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;
- (7) क्या कोई निदेशक धारा 164 की उप धारा (2) के तहत निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य है;
- (8) खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी;
- (9) क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं;

कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) संशोधन नियम 2014 द्वारा धारा 143 (अर्थात ऊपर उल्लिखित बिंदु 9) की उप-धारा (3) के खंड (i) के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना दिनांक 14 अक्टूबर 2014 द्वारा सम्मिलित नियम 10A के अनुसार 1 अप्रैल 2015 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों और इसकी परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अस्तित्व के बारे में बताया जाएगा।

बशर्ते कि किसी कंपनी का लेखा-परीक्षक 1 अप्रैल 2014 को या उसके बाद शुरू होने वाले और 31 मार्च 2015 को या उससे पहले समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए इस नियम में निर्दिष्ट विवरण को स्वेच्छा से शामिल कर सकता है।

³निजी कंपनी को छूट: 'निजी कंपनी के मामले में - धारा 143 की उप-धारा (3) का खंड (i) एक निजी कंपनी पर लागू नहीं होगा:-

- (i) जो एक व्यक्ति की कंपनी या छोटी कंपनी है; या
- (ii) जिसका नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार पचास करोड़ रुपये से कम का कारोबार है और जिसका वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय बैंकों या वित्तीय संस्थानों या किसी कॉर्पोरेट निकाय से कुल उधार 25 करोड़ रुपये से कम है। - अधिसूचना दिनांक 13 जून 2017

उपरोक्त अपवाद, संशोधन और अनुकूलन एक निजी कंपनी पर लागू होंगे, जिसने रजिस्ट्रार के साथ उक्त अधिनियम की धारा 92 के तहत धारा 137 या वार्षिक रिटर्न के तहत अपने वित्तीय विवरण दाखिल करने में कोई चूक नहीं की है।'

(10) ऐसे अन्य मामले जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

(f) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 में प्रावधान है कि लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में निम्नलिखित मामलों पर उनके विचार और टिप्पणियां भी शामिल होंगी, अर्थात्:

- (1) क्या कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव, यदि कोई हो, का प्रकटीकरण किया है;
- (2) क्या कंपनी ने व्युत्पन्न अनुबंधों सहित लंबी अवधि के अनुबंधों पर, किसी भी कानून या लेखा मानकों के तहत, भौतिक नुकसान के लिए, यदि कोई हो, प्रावधान किया है;
- (3) क्या कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक राशियों को स्थानांतरित करने में कोई देरी हुई है।

³ [अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 583(E) दिनांक 13 जून, 2017 में कहा गया है कि कंपनी अधिनियम 2013 के कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 10A के साथ पठित धारा 143(3)(i) के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकताएं कुछ निजी कंपनियों पर लागू नहीं होंगी। इस परिपत्र के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया था कि छूट 1 अप्रैल 2016 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरणों के संबंध में उन लेखा परीक्षा रिपोर्टों के लिए लागू होगी, जो उक्त अधिसूचना की तारीख को या उसके बाद की गई हैं। (धारा 143(3)(i) के तहत परिपत्र संख्या 08/2017 दिनांक 25 जुलाई 2017 के तहत कुछ निजी कंपनियों को दी गई छूट की प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टीकरण)]

- ⁴(4) (i) क्या प्रबंधन ने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार इसका प्रतिनिधित्व किया है, जैसा कि खातों में नोटों में प्रकटीकरण किया गया है, कोई धन उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या अंश प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था में विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित इस समझ के साथ कि चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या अन्य व्यक्तियों में निवेश करेगा या कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचानी गई संस्थाएं या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करती हैं;
- (ii) क्या प्रबंधन ने अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार इसका प्रतिनिधित्व किया है, जैसा कि खातों में नोटों में बताया गया है, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है ("फंडिंग पार्टियां") इस समझ के साथ कि चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी, जो किसी भी तरीके से या फंडिंग पार्टी ("अल्टीमेट बेनिफिशरीज") की ओर से या कोई गारंटी सुरक्षा प्रदान करेगी या परम लाभार्थियों की ओर से पसंद करते हैं और
- (iii) ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें लेखा-परीक्षक ने परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना है, उनके संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे उन्हें यह विश्वास हो कि उप-खंड (i) और (ii) के तहत प्रतिनिधित्व में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।
- (5) क्या कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान घोषित या भुगतान किया गया लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुपालन में है।
- (6) क्या कंपनी ने 1 अप्रैल 2022 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों के संबंध में अपनी लेखा पुस्तकों को बनाए रखने के लिए ऐसे लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें लेखा परीक्षा ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और इसे संचालित किया गया है सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड किए

⁴ कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के खंड (डी) को कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) संशोधन नियम, 2021 (1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी) के माध्यम से हटा दिया गया है।

गए सभी लेनदेन के लिए पूरे वर्ष भर के लिए और लेखा परीक्षा ट्रेल फीचर के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है और कंपनी द्वारा रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार लेखा परीक्षा ट्रेल को संरक्षित किया गया है।

- (g) जहाँ किसी भी मामले का उत्तर नकारात्मक या योग्यता के साथ दिया जाता है, लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में इसका कारण बताया जाएगा।

उदाहरण 17: एमएनओ लिमिटेड एक सूचीबद्ध कंपनी है जो विभिन्न उत्पादों के व्यापार में लगी हुई है। कंपनी कुछ उत्पादों का निर्माण शुरू करने की भी योजना बना रही है जो वर्तमान में कारोबार कर रहे हैं।

इसकी लेखा परीक्षा के दौरान, लेखा परीक्षकों ने वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया। हालाँकि, लेखा-परीक्षक एक प्रक्रिया पर अटक गया जिसके कारण लेखा परीक्षा समाप्त नहीं हुआ है।

लेखा-परीक्षक अपनी समीक्षा के लिए कुछ अतिरिक्त सूचना निदेशकों की रिपोर्ट और प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण (एमडी एंड ए) की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालाँकि, प्रबंधन इस जानकारी के लिए तैयार नहीं है और चाहता है कि लेखा-परीक्षक इस जानकारी की समीक्षा किए बिना अपना काम पूरा कर लें। कृपया कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार सलाह दें।

उत्तर: यहाँ दी गई परिस्थितियों में, अतिरिक्त जानकारी अर्थात् निदेशकों की रिपोर्ट और एमडी एंड ए के संबंध में लेखा परीक्षकों की आवश्यकता होती है, जिसके बिना वे लेखा परीक्षा को समाप्त नहीं कर पायेंगे, मान्य नहीं लगती हैं। लेखा-परीक्षक को वित्तीय विवरणों का लेखा-जोखा करना और उस पर एक राय व्यक्त करना आवश्यक है। लेखा-परीक्षक इन अतिरिक्त सूचनाओं का लेखा परीक्षा नहीं करता है।

अतः लेखा-परीक्षक को इसके कारण बिना विलंब किए कार्य समाप्त करना चाहिए।

- (h) **लेखा परीक्षा मानकों का अनुपालन [धारा 143(9) और 143(10)]:**

- (1) प्रत्येक लेखा-परीक्षक लेखा परीक्षा मानकों का पालन करेगा।
- (2) केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के परामर्श से और उसके द्वारा की गई सिफारिशों की परीक्षा करने के पश्चात्, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा सिफारिश के अनुसार लेखा मानक विहित कर सकेगी।

(3) परंतु लेखा परीक्षा मानकों के अधिसूचित किए जाने तक, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए किसी लेखा मानक या मानकों को लेखा परीक्षा लेखा मानक समझा जाएगा।

(i) **निर्दिष्ट कंपनियों के मामले में रिपोर्ट किए जाने वाले अतिरिक्त मामले [धारा 143(11)]:**
ऐसे वर्ग या कंपनियों के विवरण के संबंध में, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के परामर्श से कंपनियों के ऐसे वर्ग या वर्णन, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, के संबंध में साधारण या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश कर सकेगी कि लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में ऐसे विषयों पर जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, एक कथन भी सम्मिलित किया जाएगा।

एमसीए द्वारा जारी सीएआरओ 2020 का अनुपालन प्रत्येक कंपनी के वैधानिक लेखा-परीक्षक द्वारा किया जाना चाहिए, जिस पर वह लागू होता है।

(iii) **लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग [धारा 143(12)]:**

इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कंपनी के लेखा-परीक्षक के पास, लेखा-परीक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों के पालन के अनुक्रम में यह विश्वास करने का कारण है कि कपट वाला कोई अपराध कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी के विरुद्ध किया गया है तो वह ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए मामले की रिपोर्ट तुरंत केन्द्रीय सरकार को करेगा।

बशर्ते कि निर्दिष्ट राशि से कम की धोखाधड़ी के मामले में, लेखा-परीक्षक मामले को धारा 177 के तहत गठित लेखा परीक्षा समिति को या अन्य मामलों में बोर्ड को ऐसे समय के भीतर और ऐसे तरीके से रिपोर्ट करेगा जैसा की निर्धारित किया गया है:

बशर्ते यह भी कि जिन कंपनियों के लेखा-परीक्षकों ने इस उप-धारा के तहत लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड को धोखाधड़ी की सूचना दी है, लेकिन केंद्र सरकार को रिपोर्ट नहीं की है, वे बोर्ड की रिपोर्ट में ऐसी धोखाधड़ी के बारे में विवरण का इस प्रकार प्रकटीकरण करेंगे जैसा कि निर्धारित किया गया है।

(1) 14 दिसंबर, 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने *कंपनी अधिनियम (लेखा परीक्षा और लेखा-परीक्षक) 2014* के नियम 13 में संशोधन किया था। संशोधित नियम 13 ने धोखाधड़ी पर रिपोर्टिंग के उद्देश्य के लिए देहली और अधिसूचित सीमा से ऊपर या नीचे धोखाधड़ी के संबंध में वैधानिक संपरीक्षकों के लिए अलग जिम्मेदारियों की स्थापना की है।

संशोधित नियम 13 के अनुसार, यदि किसी कंपनी के लेखा-परीक्षक के पास लेखा-परीक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान यह विश्वास करने का कारण


है की कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी का एक अपराध, जिसमें ₹1 करोड़ या उससे अधिक की राशि शामिल है, किया जा रहा है या एसी धोखाधड़ी होने की उम्मीद है, तो लेखा-परीक्षक इस मामले को केंद्र सरकार को निम्नलिखित तरीके से रिपोर्ट करेगा:

- (a) लेखा-परीक्षक कपट की जानकारी प्राप्त होने के तुरंत बाद अपनी रिपोर्ट यथास्थिति, बोर्ड या लेखापरीक्षा समिति, पैतालीस दिन के भीतर उनका उत्तर और टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु अग्रेषित करेगा;
 - (b) ऐसे उत्तर या टिप्पणियां प्राप्त होने पर लेखा-परीक्षक अपनी रिपोर्ट और बोर्ड या लेखापरीक्षा समिति के उत्तर और टिप्पणियां (बोर्ड और या लेखापरीक्षा समिति के ऐसे उत्तर और टिप्पणियों पर) उस पर अपनी टिप्पणी सहित ऐसे उत्तर या टिप्पणियां प्राप्त होने के पंद्रह दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगी।
 - (c) यदि लेखा-परीक्षक को निर्धारित पैतालीस दिन की अवधि के भीतर बोर्ड या लेखापरीक्षा समिति के उत्तर या टिप्पणियां नहीं प्राप्त होती हैं तो वह केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट बोर्ड या लेखा परीक्षा समिति को पहले अग्रेषित की गई अपनी रिपोर्ट के ब्यौरों को सम्मिलित करते हुए इस टिप्पणी के साथ कि विहित समय के भीतर उसे कोई उत्तर या टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं, अग्रेषित करेगा;
 - (d) रिपोर्ट रसीदी रजिस्ट्री डाक या त्वरित डाक द्वारा मुहरबंद लिफाफे में सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय को भेजी जाएगी और उसके बाद ई - मेल द्वारा उसकी पुष्टि की जाएगी;
 - (e) यह रिपोर्ट लेखा-परीक्षक के ऐसे लेटरहेड पर होगी जिसमें उसका डाक पता, ई - मेल पता और दूरभाष संख्या अंतर्विष्ट होगी तथा वह लेखा-परीक्षक द्वारा उसकी मुहर सहित हस्ताक्षरित होगी तथा उसकी सदस्यता संख्या उपदर्शित की जाएगी; तथा
 - (f) रिपोर्ट प्ररूप एडीटी -4 में यथाविनिर्दिष्ट एक विवरण के रूप में होगी।
- (2) निर्दिष्ट राशि से कम की धोखाधड़ी के मामले में, लेखा-परीक्षक मामले की रिपोर्ट धारा 177 के तहत गठित लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड को तुरंत लेकिन धोखाधड़ी के बारे में उसकी जानकारी के दो दिनों के बाद नहीं देगा। और वह निम्नलिखित बातों को निर्दिष्ट करते हुए मामले की रिपोर्ट करेगा:
- (i) विवरण के साथ धोखाधड़ी की प्रकृति;
 - (ii) शामिल अनुमानित राशि; तथा

- (iii) शामिल पक्ष
- (3) वर्ष के दौरान संशोधित नियम 13 के उप-नियम (3) के तहत लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड को रिपोर्ट की गई प्रत्येक धोखाधड़ी का निम्नलिखित विवरण बोर्ड की रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा:
- विवरण के साथ धोखाधड़ी की प्रकृति;
 - शामिल अनुमानित राशि; तथा
 - शामिल पक्ष, यदि उपचारी कार्रवाई नहीं की गई; तथा
 - उपचारात्मक कार्रवाई जो की गई है।
- (4) इस धारा के प्रावधान यथावश्यक परिवर्तनों सहित एक लागत लेखा-परीक्षक और एक सचिवीय लेखा-परीक्षक पर क्रमशः धारा 148 और धारा 204 के तहत अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन के दौरान लागू होंगे।

धारा 143(12) के गैर-अनुपालन के लिए दंड: यदि कोई व्यवसायरत लेखा-परीक्षक, लागत लेखापाल या कंपनी सचिव, उपधारा (12) के उपबंधों का पालन नहीं करता है तो वह –

- एक सूचीबद्ध कंपनी के मामले में, पाँच लाख रुपये का जुर्माना देने के लिए बाध्य है; तथा
- किसी अन्य कंपनी के मामले में, एक लाख रुपये का जुर्माना देने के लिए बाध्य है।



सद्भावना [धारा 143 (13)]: ऐसे किसी कर्तव्य के बारे में, जिसके अध्यक्षीन कंपनी का लेखा-परीक्षक हो, यह नहीं समझा जाएगा कि उसने उपधारा (12) में निर्दिष्ट मामले का अपनी रिपोर्टिंग के कारण उल्लंघन किया है, यदि वह उसके सद्भाव में की गई है।

उदाहरण 18: एनएसएच लिमिटेड खुदरा कारोबार में शामिल है और राष्ट्रीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध है। कंपनी ने हाल ही में अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए एक व्यावसायिक उपक्रम का अधिग्रहण किया है। वर्ष के दौरान, कंपनी के कर्मचारियों / निदेशकों द्वारा हजारों रुपये की राशि के कुछ लेन-देन किए गए, जिन्हें प्रबंधन ने संदिग्ध पाया और उनकी समीक्षा करने के लिए एक फोरेसिक सलाहकार नियुक्त किया। इस समीक्षा प्रक्रिया के अनुसरण में, प्रबंधन द्वारा कुछ संदिग्ध लेनदेनों की पहचान की गई और प्रबंधन ने इन लेनदेनों की सूचना उपयुक्त अधिकारियों को दी। सांविधिक लेखा परीक्षा के दौरान, ऐसे लेन-देन की जानकारी सांविधिक लेखापरीक्षकों को भी दी गई। लेखापरीक्षकों को ऐसे मामले से कैसे सुलझाना चाहिए?

उत्तर: लेखापरीक्षकों को इस मामले के बारे में अपनी सीएआरओ रिपोर्ट में उचित रूप से रिपोर्ट करने की आवश्यकता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अनुसार, लेख परीक्षक को लेख परीक्षा कमेटी या निदेशक मंडल को और जहाँ लागू हो, केंद्र सरकार को अपने कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी में धोखाधड़ी का बारे में रिपोर्ट देना होगा। लेकिन उसे यह रिपोर्ट केंद्र सरकार को तभी देना होगा जब वह इस तरह के उदाहरण की पहचान/नोट करने वाला पहला व्यक्ति हो और उसने यह सूचना तब प्राप्त की हो जब वह एक लेखा-परीक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन कर रहा था। इस मामले में पहले प्रबंधन द्वारा संदिग्ध लेन-देन की पहचान की गई है और इसकी जानकारी प्रबंधन द्वारा लेखा-परीक्षक को दी गई है। तदनुसार, लेखा-परीक्षक को इस मामले के बारे में लेखा परीक्षा समिति/निदेशक मंडल को रिपोर्ट करना चाहिए लेकिन लेखा-परीक्षक को केंद्र सरकार को इसकी रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा [धारा 143(5), (6) और (7)]:

(a) केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों के स्वामित्व वाली या नियंत्रित किसी सरकारी कंपनी या किसी अन्य कंपनी के मामले में, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित कंपनी के मामले में, की दशा में, भारत का नियंत्रक - महालेखा-परीक्षक धारा 139 की उपधारा (5) या उपधारा (7) के अधीन लेखा-परीक्षक की नियुक्ति करेगा और लेखा-परीक्षक को उस रीति के प्रति निदेश देगा जिसमें सरकारी कंपनी के लेखाओं को संपरीक्षित किया जाना अपेक्षित होगा और तत्पश्चात् इस प्रकार नियुक्त लेखा-परीक्षक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ - साथ भारत के नियंत्रक - महालेखा-परीक्षक द्वारा जारी किए गए निदेशों, यदि कोई हों, उस पर की गई कार्रवाई तथा कंपनी के लेखाओं

और वित्तीय विवरण पर उसके प्रभाव का उल्लेख होगा, की एक प्रति भारत के नियंत्रक - महालेखा-परीक्षक को प्रस्तुत करेगा।

- (b) लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल हैं:
- (1) सीएजी द्वारा जारी निर्देश, यदि कोई हों;
 - (2) उस पर की गई कार्रवाई; तथा
 - (3) कंपनी के खातों और वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव।
- (c) **भारत के नियंत्रक - महालेखा-परीक्षक को उपधारा के अधीन लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर-**
- (1) कंपनी के वित्तीय विवरण की ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जो वह इस निमित्त प्राधिकृत करे, अनुपूरक लेखा परीक्षा कराने और ऐसे लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए इस प्रकार प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उन मामलों पर ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी या अतिरिक्त जानकारी की ऐसे प्ररूप में, जैसा भारत का नियंत्रक - महालेखा-परीक्षक निदेश दें, अपेक्षा करने का अधिकार होगा; और
 - (2) **ऐसी लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणी-** करने या उसमें अनुपूरक लगाने का अधिकार होगा.
- (d) भारत के नियंत्रक - महालेखा-परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर की गई कोई टीका - टिप्पणियां या उसके साथ लगाए गए अनुपूरक को कंपनी द्वारा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो धारा 136 की उपधारा (1) के अधीन संपरीक्षित वित्तीय विवरणों की प्रतियां पाने का हकदार है, भेजा जाएगा और कंपनी के वार्षिक साधारण अधिवेशन के समक्ष भी उसे उसी समय और उसी रीति में रखा जाएगा जैसे लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है।
- (e) **परीक्षण लेखापरीक्षा:** राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सरकारी कंपनी या कंपनी के लिए, सीएजी, यदि वह आवश्यक समझे, एक आदेश द्वारा, लेखापरीक्षा से संबंधित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी कंपनी के खातों का परीक्षण लेखापरीक्षा करवा सकता है। नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19A के प्रावधान ऐसे लेखापरीक्षा की रिपोर्ट पर लागू होंगे।
- (v) **कंपनी के शाखा कार्यालय के खातों की लेखापरीक्षा [धारा 143(8)]:**
- (a) **भारत में शाखा कार्यालय:**

जहाँ किसी कंपनी का एक शाखा कार्यालय है, उस कार्यालय के खातों की लेखा परीक्षा निम्न द्वारा की जाएगी:

- (A) धारा 139 के तहत नियुक्त कंपनी के लेखा-परीक्षक द्वारा, या
- (B) धारा 139 के तहत कंपनी के लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा

(b) **भारत के बाहर शाखा कार्यालय:**

यदि शाखा कार्यालय भारत के बाहर किसी देश में स्थित है, तो शाखा कार्यालय के खातों की लेखापरीक्षा निम्न द्वारा की जाएगी:

- (A) कंपनी के लेखा-परीक्षक या
- (B) एक एकाउंटेंट द्वारा या
- (C) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो उस देश के कानूनों के अनुसार शाखा कार्यालय के खातों के लेखा-परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए योग्य है।

(c) शाखा और शाखा लेखा-परीक्षक के लेखा परीक्षा के संदर्भ में कंपनी के लेखा-परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां, यदि कोई हो, धारा 143 की उप-धारा (1) से (4) में निहित हैं।

(d) शाखा लेखा-परीक्षक उसके द्वारा जाँच की गई शाखा के खातों पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा और कंपनी के लेखा-परीक्षक को भेजेगा जो अपनी रिपोर्ट में इस तरह से कार्य करेगा जैसा वह आवश्यक समझता है।

(e) लेखा-परीक्षक द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के संबंध में प्रावधान भी ऐसे शाखा लेखा-परीक्षक तक उस सीमा तक विस्तारित होंगे जहाँ तक वह संबंधित शाखा से संबंधित है।

(vi) **लागत लेखाकारों और कंपनी सचिव के लिए धारा 143 के प्रावधानों का आवेदन [धारा 143(14)]: इस धारा के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे:**

- (a) लागत लेखाकार धारा 148 के तहत लागत लेखा परीक्षा आयोजित करता है; या
- (b) कंपनी सचिव धारा 204 के तहत सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित कर रहा है।



7. लेखा-परीक्षक द्वारा कतिपय सेवाओं का प्रदान न किया जाना [धारा 144]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 144 में लेखा-परीक्षक को कुछ सेवाएं प्रदान नहीं करने का प्रावधान है। इस धारा के अनुसार:


- (i) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई लेखा-परीक्षक, कंपनी को केवल ऐसी अन्य सेवाएं प्रदान करेगा, जो, यथास्थिति, निदेशक बोर्ड या लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित की गई हैं, किंतु इनमें निम्नलिखित सेवाओं में से कोई सेवा सम्मिलित नहीं होगी, चाहे ऐसी सेवाएं कंपनी या उसकी नियंत्रि कंपनी या समनुषंगी कंपनी के लिए प्रत्यक्ष रूप से की जाती है या अप्रत्यक्ष रूप से, अर्थात् :-
- (a) लेखाकर्म और बही खाता रखने की सेवाएं;
 - (b) आंतरिक लेखा परीक्षा ;
 - (c) किसी वित्तीय सूचना प्रणाली की परिकल्पना और क्रियान्वयन;
 - (d) बीमांकिक सेवाएं;
 - (e) विनिधान परामर्शी सेवाएं;
 - (f) विनिधान बैंककारी सेवाएं;
 - (g) ब्राह्म्य स्रोत की वित्तीय सेवाओं का प्रदान किया जाना;
 - (h) प्रबंध सेवाएं और;
 - (i) किसी अन्य प्रकार की ऐसी सेवाएं, जो विहित की जाएं : [हालाँकि, आज तक किसी अन्य प्रकार की सेवाएं निर्धारित नहीं की गई हैं]



(ii) **स्पष्टीकरण:** इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “प्रत्यक्ष रूप से” या “अप्रत्यक्ष रूप से” पद में लेखा-परीक्षक द्वारा सेवाओं का प्रदान किया जाना भी सम्मिलित है, –

- (1) लेखापरीक्षक के एक व्यक्ति होने के मामले में, या तो स्वयं या अपने रिश्तेदार या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से जो ऐसे व्यक्ति से जुड़ा या जुड़ा हुआ है या किसी अन्य संस्था के माध्यम से जिसमें ऐसे व्यक्ति का महत्वपूर्ण प्रभाव या नियंत्रण है, या जिसका नाम या ट्रेडमार्क या ब्रांड का उपयोग ऐसा व्यक्ति द्वारा किया जाता है;
- (2) लेखापरीक्षक के एक फर्म होने की स्थिति में, या तो स्वयं या उसके किसी भागीदार के माध्यम से या उसके माता-पिता, सहायक या सहयोगी संस्था के माध्यम से या किसी अन्य संस्था के माध्यम से, जो भी हो, जिसमें फर्म या फर्म के किसी भागीदार का महत्वपूर्ण प्रभाव या नियंत्रण हो, या जिसका नाम या ट्रेडमार्क या ब्रांड फर्म या उसके किसी भागीदार द्वारा उपयोग किया जाता है।

सेवाओं का प्रतिपादन 'प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से'



उदाहरण 19: एमएनपी लिमिटेड एक मध्यम आकार की कंपनी है जो फार्मास्यूटिकल्स के कारोबार में लगी हुई है। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, कंपनी जीएसटी (माल और सेवा कर) लेखा-परीक्षक की नियुक्ति की तलाश में है। कंपनी इस काम के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना चाहती है जो कंपनी के व्यवसाय से परिचित हो यानी जिसने कंपनी के साथ अतीत में काम किया हो ताकि जीएसटी लेखा परीक्षा को पूरा करने के लिए कम प्रयासों की आवश्यकता हो। कंपनी के पास वैधानिक लेखा परीक्षकों के विकल्प हैं जिन्हें कंपनी की बेहतरी के लिए इस काम के लिए नियुक्त किया जा सकता है।

8. लेखा परीक्षा रिपोर्टों आदि पर लेखा-परीक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाना [धारा 145]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 145 लेखा परीक्षकों को लेखा परीक्षा रिपोर्ट आदि पर हस्ताक्षर करने का प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार:

- (i) कंपनी के लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति, धारा 141 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट या कंपनी के किसी अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर पर हस्ताक्षर करेगी या उसको प्रमाणित करेगी (यानी एलएलपी सहित फर्म के मामले में, केवल चार्टर्ड एकाउंटेंट ही वैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में कार्य करने और हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हैं)
- (ii) ऐसे मामलों या वित्तीय संव्यवहारों के संबंध में ऐसी अर्हताओं, संप्रेक्षणों या टीका टिप्पणियां जिनसे लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में वर्णित कंपनी के कार्यकरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, साधारण अधिवेशन में कंपनी के समक्ष पढ़ा जाएगा तथा कंपनी के किसी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।

9. सामान्य बैठक में भाग लेने वाले लेखा-परीक्षक [धारा 146]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 146 में लेखा परीक्षकों को सामान्य बैठक में भाग लेने का प्रावधान है। इस धारा के अनुसार:

- (i) किसी साधारण अधिवेशन की सभी सूचनाएं और उससे संबंधित अन्य संसूचनाएं, कंपनी के लेखा-परीक्षक को भेजी जाएंगी;
- (ii) लेखा-परीक्षक जब तक कंपनी द्वारा अन्यथा छूट न दी गई हो या तो स्वयं या अपने ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, जो लेख परीक्षक के रूप में अर्हित होगा, किसी साधारण अधिवेशन में उपस्थित होगा;
- (iii) लेखा-परीक्षक को व्यवसाय के किसी भी भाग पर ऐसी बैठक में सुनवाई का अधिकार होगा जो लेखा-परीक्षक के रूप में उससे संबंधित है।



10. उल्लंघन के लिए दंड [धारा 147]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 147 उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार:

(i) कंपनी पर जुर्माना [धारा 147(1)]:

यदि कंपनी द्वारा धारा 139 से 146 (दोनों सहित) के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है, तो कंपनी जुर्माने से दण्डनीय होगी, जो ₹25,000 से कम नहीं होगा लेकिन जो ₹5 लाख तक हो सकता है

(ii) अधिकारियों पर जुर्माना [धारा 147(1)]:

यदि अधिकारियों द्वारा धारा 139 से 146 (दोनों सहित) के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है, तो कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जिन्होंने उल्लंघन किया है, वे सभी जुर्माने से दंडनीय होंगे, जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा लेकिन जो एक लाख रुपये तक हो सकता है।

(iii) लेखा-परीक्षक पर जुर्माना [धारा 147(2) & (3)]:

(a) यदि कंपनी का कोई लेखा-परीक्षक धारा 139, धारा 143, धारा 144 या धारा 145 के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो लेखा-परीक्षक जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पाँच लाख रुपए तक का हो सकेगा या लेखा-परीक्षक के पारिश्रमिक का चार गुना, जो भी कम हो, दंडनीय होगा

(b) परंतु यदि ऐसा लेखा-परीक्षक कंपनी या उसके अंश धारकों या लेनदारों अथवा कर प्राधिकारियों की प्रवंचना के आशय से ऐसे उपबंधों का जानते हुए या जानबूझकर उल्लंघन करेगा, तो लेखा-परीक्षक दंडनीय होगा:

(1) कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और

(2) जुर्माने से, जो पचास हजार से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा, या लेखा-परीक्षक के पारिश्रमिक का 8 गुना, जो भी कम हो, से दंडनीय होगा।

(c) जहाँ किसी लेखा-परीक्षक को उपधारा (2) के अधीन दोषसिद्ध किया गया है, वहाँ वह-

(1) उसके द्वारा प्राप्त किए गए पारिश्रमिक का कंपनी को प्रतिदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा; तथा

- (2) कंपनी कानूनी निकायों या प्राधिकारियों को या कंपनी के सदस्यों या लेनदारों को, उसकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में की गई विशिष्टियों के गलत या भ्रामक कथनों से होने वाली हानि के लिए किसी नुकसानी का संदाय करने के लिए, उत्तरदायी होगा।
- (iv) केंद्रीय सरकार, कंपनी या व्यक्तियों को नुकसानी का तुरंत संदाय सुनिश्चित करने के लिए किसी कानूनी निकाय या प्राधिकारी या किसी अधिकारी को, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करेगी। और ऐसा निकाय, प्राधिकारी या अधिकारी, ऐसी नुकसानी का ऐसी कंपनी या व्यक्तियों को संदाय करने के पश्चात् ऐसी नुकसानी करने की बाबत केंद्रीय सरकार के पास रिपोर्ट, ऐसी रीति में, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, फाइल करेगा। [धारा 147(4)]
- (v) **लेखा परीक्षा फर्म की देयता [धारा 147(5)]:**

जहाँ किसी लेखा परीक्षा फर्म द्वारा संचालित की जा रही किसी कंपनी की लेखा परीक्षा की दशा में यह साबित हो जाता है कि लेखा परीक्षा भागीदार या भागीदारों ने कपटपूर्ण रीति में कार्य किया है या कंपनी या उसके निदेशकों अथवा अधिकारियों के संबंध में या उनके साथ किसी कपट के लिए दुष्प्रेरण या दुस्संधि की है, वहाँ ऐसे कृत्य के लिए इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में यथाउपबंधित सिविल या दांडिक दायित्व लेखा परीक्षा फर्म से संबंधित भागीदार या भागीदारों और फर्म का संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से होगा और धारा 447 के तहत भी उत्तरदायी होगा।

बशर्ते कि किसी लेखा परीक्षा फर्म के आपराधिक दायित्व के मामले में, जुर्माने के अलावा अन्य दायित्व के संबंध में, संबंधित भागीदार या भागीदार, जिन्होंने कपटपूर्ण तरीके से कार्य किया या किसी धोखाधड़ी में उकसाया या, जैसा भी मामला हो, मिलीभगत से ही उत्तरदायी होगा।

11. केंद्रीय सरकार द्वारा कतिपय कंपनियों के संबंध में लागत की मर्दों की लेखा परीक्षा विनिर्दिष्ट किया जाना [धारा 148]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के लिए प्रावधान प्रदान करता है - केंद्र सरकार कुछ कंपनियों के संबंध में लागत की वस्तुओं की लेखापरीक्षा निर्दिष्ट करती है। इस धारा के अनुसार:

- (i) इस अध्याय X में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा, ऐसे माल के उत्पादन में या ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने में जो उसमें विहित की जाएं, लगी कंपनियों के ऐसे वर्ग के संबंध में यह निदेश दे सकेगी कि कंपनियों के ऐसे वर्ग द्वारा रखी गई लेखे की बहियों (धारा 128) में, सामग्री या श्रम के उपयोग या लागत की ऐसी अन्य मर्दें, जो विहित की जाएं, से संबंधित विशिष्टियां भी सम्मिलित की जाएंगी।

- (ii) केंद्रीय सरकार किसी विशेष अधिनियम के अधीन विनियमित कंपनियों के किसी वर्ग की बाबत ऐसा आदेश जारी करने से पूर्व ऐसे विशेष अधिनियम के अधीन गठित या स्थापित विनियामक निकाय से परामर्श करेगी।
- (iii) यदि केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि ऐसी कंपनियों के वर्ग के लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा, जो पूर्वोक्त कवर किए गए हैं और जिनके पास ऐसी राशि का निवल मूल्य हो सकता है निर्धारित किया जा सकता है या ऐसी राशि का कारोबार, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, आदेश में निर्दिष्ट तरीके से संचालित किया जाएगा। इस धारा के तहत आयोजित एक लेखापरीक्षा धारा 143 के तहत आयोजित लेखापरीक्षा के अतिरिक्त होगी।
- (iv) लागत लेखा परीक्षा एक लागत लेखाकार द्वारा आयोजित की जाएगी जिसे बोर्ड द्वारा ऐसे पारिश्रमिक पर नियुक्त किया जाएगा जो सदस्यों द्वारा निर्धारित तरीके से निर्धारित किया जा सकता है।
- (v) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 में प्रावधान है कि –
- (1) उन कंपनियों के मामले में जिन्हें एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करना आवश्यक है। -
- (A) बोर्ड एक व्यक्ति, जो एक लागत लेखाकार है, या लागत लेखाकारों की एक फर्म है, को लेखा परीक्षा समिति की सिफारिशों पर लागत लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त करेगा, जो ऐसे लागत लेखा-परीक्षक के लिए पारिश्रमिक का भी सुझाव देगा;
- (B) (A) के तहत लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित पारिश्रमिक पर विचार किया जाएगा और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और बाद में अंश धारकों द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी।
- (2) अन्य कंपनियों के मामले में जिन्हें एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करने की आवश्यकता नहीं है, बोर्ड एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो लागत लेखाकार या लागत लेखाकारों की एक फर्म है जो लागत लेखा-परीक्षक के रूप में व्यवहार में है और बाद में ऐसे लागत लेखा-परीक्षक के पारिश्रमिक की पुष्टि अंश धारकों द्वारा की जाएगी।

कंपनी जिन्हें एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करना आवश्यक है।

कंपनी जिन्हें एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करने की आवश्यकता नहीं है

<p>(a) बोर्ड लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर लागत लेखा-परीक्षक नियुक्त करेगा</p> <p>(b) लेखा परीक्षा समिति लागत लेखा-परीक्षक के लिए पारिश्रमिक की सिफारिश करेगी।</p> <p>(c) लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित इस तरह के पारिश्रमिक पर विचार किया जाएगा और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।</p> <p>(d) फिर इस पारिश्रमिक को बाद में अंश धारकों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।</p>	<p>(a) बोर्ड लागत लेखा-परीक्षक नियुक्त करेगा।</p> <p>(b) ऐसे लागत लेखा-परीक्षक के पारिश्रमिक की बाद में अंश धारकों द्वारा पुष्टि की जाएगी।</p>
--	--

- (vi) धारा 139 के तहत कंपनी के लेखा-परीक्षक (यानी कंपनी लेखा परीक्षक) के रूप में नियुक्त किसी भी व्यक्ति को लागत रिकॉर्ड की लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- (vii) **लागत लेखा-परीक्षक को लागत लेखा परीक्षा मानकों का अनुपालन करना होगा:** लागत लेखा परीक्षा करने वाला लेखा-परीक्षक लागत लेखा परीक्षा मानकों का पालन करेगा
- यहाँ, अभिव्यक्ति "लागत लेखा परीक्षा मानकों" का अर्थ ऐसे मानकों से है जो केंद्र सरकार के अनुमोदन से लागत और कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959 के तहत गठित भारतीय लागत और कार्य लेखाकार संस्थान (आईसीडब्ल्यूए) द्वारा जारी किए गए हैं।
- (viii) धारा 148 के तहत आयोजित एक लेखा परीक्षा धारा 143 के तहत आयोजित लेखा परीक्षा के अतिरिक्त होगी।
- (ix) लेखा परीक्षकों (अर्थात कंपनी लेखा-परीक्षक पर लागू) पर लागू योग्यता, अयोग्यता, अधिकार, कर्तव्य और दायित्व, जहां तक लागू हो, धारा 148 के तहत नियुक्त लागत लेखा-परीक्षक पर लागू होंगे और और कंपनी के लागत रिकॉर्ड की लेखा परीक्षा के लिए इस धारा के तहत नियुक्त लागत लेखा-परीक्षक को सुविधाएं सभी सहायता देना कंपनी का कर्तव्य होगा।
- (x) लागत अभिलेखों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट लागत लेखाकार द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जाएगी।

- (xi) एक कंपनी लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर केंद्र सरकार को ऐसी रिपोर्ट के साथ प्रत्येक आरक्षण या योग्यता पर पूरी जानकारी और स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत करेगी।

अधिसूचना दिनांकीत 9 सितंबर, 2015, कंपनी (एक्स्टेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लेंग्वेज में दस्तावेज और फॉर्म दाखिल करना) नियम, 2015 के नियम 4 के तहत कंपनी जिसे अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा 6 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत केंद्र सरकार को लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। ऐसी कंपनी कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के तहत निर्दिष्ट ई-फॉर्म सीआरए-4 में 1 अप्रैल 2014 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अनुबंध III में दिए गए एक्सबीआरएल वर्गीकरण का उपयोग करके ऐसी रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज दाखिल करेगी।

- (xii) यदि, लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट और कंपनी द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद, केंद्र सरकार की राय है कि कोई और जानकारी या स्पष्टीकरण आवश्यक है, तो वह ऐसी और जानकारी और स्पष्टीकरण मांग सकती है और कंपनी उसे प्रस्तुत करेगी उस समय के भीतर जो उस सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

- (xiii) **उल्लंघन:** यदि धारा 148 के प्रावधानों के अनुपालन में कोई चूक की जाती है। –

- (a) कंपनी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जिससे उल्लंघन हुआ है, धारा 147(1) में दिए गए तरीके से दंडनीय होगा;
- (b) कंपनी का लागत लेखा-परीक्षक जिससे उल्लंघन हुआ है, धारा 147 के उप-धारा (2) से (4) में प्रदान किए गए तरीके से दंडनीय होगा।

- (xiv) धारा 143 के प्रावधान यथावश्यक परिवर्तनों सहित धारा 148 के तहत लागत लेखा परीक्षा आयोजित करने वाले लागत लेखाकार पर लागू होंगे।

सारांश

- **प्रधान लेखा-परीक्षक:** सरकारी कंपनी के अलावा किसी कंपनी का पहला लेखा परीक्षक, कंपनी के पंजीकरण की तारीख से 30 दिनों के भीतर निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और इस प्रकार नियुक्त लेखा-परीक्षक पहले एजीएम के समापन तक पद धारण करेगा।

यदि बोर्ड पहले लेखा-परीक्षक को नियुक्त करने में विफल रहता है, तो वह कंपनी के सदस्यों को सूचित करेगा और कंपनी 90 दिनों के भीतर एक असाधारण आम बैठक में पहले लेखा-परीक्षक की नियुक्ति कर सकती है।

- **लेखा परीक्षकों की नियुक्ति:**

- लेखा-परीक्षक को 5 वर्ष की अवधि के लिए पहले एजीएम में नियुक्त किया जाना है
 - लेखा परीक्षकों की सहमति आवश्यक है
 - एजीएम में लेखा परीक्षकों का भाग लेना (उनके संबंधित मामलों में सुनवाई का अधिकार है)
- लेखा परीक्षकों का रोटेशन:
- **व्यक्तिगत लेखा परीक्षक:** 5 वर्ष का एक कार्यकाल
 - **लेखा परीक्षा फर्म:** प्रत्येक 5 वर्ष की दो नियुक्तियाँ
 - कार्यकाल समाप्त होने यानि क्लिंग अवधि की समाप्ति से 5 वर्षों के लिए कोई पुनर्नियुक्ति नहीं
- लेखा परीक्षकों को पदच्युत करना:
- लेखा-परीक्षक को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाए
 - सीजी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है
 - जीएम में विशेष संकल्प
 - एजीएम में सेवानिवृत्त होने वाले लेखा-परीक्षक की नियुक्ति नहीं होने की स्थिति में विशेष नोटिस दिया जाना चाहिए।

अपने ज्ञान का परीक्षण करें

प्रश्न 1

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या करते हुए निम्नलिखित के लिए प्रक्रिया बताएं:

- (i) प्रधान लेखा-परीक्षक की नियुक्ति, जब निदेशक मंडल ने कंपनी के पंजीकरण की तारीख से एक महीने के भीतर प्रथम लेखा-परीक्षक की नियुक्ति नहीं की।
- (ii) सांविधिक लेखा-परीक्षक (पिछली वार्षिक आम बैठक में नियुक्त) को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले सेवानिवृत्त करना।

उत्तर

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(6) में कहा गया है कि कंपनी के पहले लेखा-परीक्षक को कंपनी के पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

धारा 139 (6) में आगे प्रावधान है कि यदि निदेशक मंडल ऐसे लेखा-परीक्षक की नियुक्ति करने में विफल रहता है, तो वह कंपनी के सदस्यों को सूचित करेगा, जो नब्बे दिनों के भीतर एक असाधारण आम बैठक में ऐसे लेखा-परीक्षक को नियुक्त करेगा और ऐसा लेखा-परीक्षक पहली वार्षिक आम बैठक का समापन तक पद पर रहेगा।

कानून के उपरोक्त प्रावधानों से यह कहा जा सकता है कि यदि निदेशक मंडल निर्धारित 30 दिनों के भीतर प्रधान लेखा परीक्षकों को नियुक्त करने में विफल रहती है, तो वह निम्नलिखित कदम उठाएगी:

- a. कंपनी के सदस्यों को सूचित करना;
 - b. 90 दिनों के भीतर एक असाधारण आम बैठक बुलाने के लिए तुरंत कदम उठाना ;
 - c. सदस्यों द्वारा उस असाधारण बैठक में कंपनी के प्रधान लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना;
 - d. इस प्रकार नियुक्त प्रधान लेखा-परीक्षक कंपनी की पहली एजीएम के समापन तक पद पर बना रहना।
- (ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 140 लेखा परीक्षकों को सेवानिवृत्त करने के लिए कुछ प्रक्रिया निर्धारित करती है। धारा 140 (1) के तहत धारा 139 के तहत नियुक्त लेखा-परीक्षक को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले कंपनी के एक विशेष संकल्प द्वारा ही उसके कार्यालय से सेवानिवृत्त किया जा सकता है, और ऐसा तभी कर सकते हैं जब इस संबंध में निर्धारित तरीके से केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त हो। इस उपखंड से स्पष्ट है कि पहले केंद्र सरकार की स्वीकृति ली जाएगी और उसके बाद कंपनी का विशेष प्रस्ताव पारित किया जाएगा।

साथ ही इस उप-धारा के तहत कोई कार्रवाई करने से पहले संबंधित लेखा-परीक्षक को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।

इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 140(1) के साथ पठित कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 7 के अनुसार, एक लेखा-परीक्षक का कार्यकाल पूरा होने से पहले उसे हटाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए:

लेखा-परीक्षक को सेवानिवृत्त करने के लिए केंद्र सरकार को फॉर्म एडीटी-2 में आवेदन किया जाएगा और इसके साथ कंपनी (पंजीकरण कार्यालय और शुल्क) नियम, 2014 के तहत इस उद्देश्य के लिए प्रदान की गई फीस भी दी जाएगी।

यह आवेदन बोर्ड द्वारा पारित संकल्प के तीस दिनों के भीतर केंद्र सरकार को किया जाएगा।

कंपनी विशेष प्रस्ताव पारित करने के लिए केंद्र सरकार के अनुमोदन की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर आम बैठक आयोजित करेगी।

प्रश्न 2

एएमसी लिमिटेड की सब्सक्राइब्ड पूंजी का एक चौथाई भाग राजस्थान सरकार के पास था। श्री नीरज, एक चार्टर्ड एकाउंटेंट, को एक साधारण संकल्प द्वारा 30 अप्रैल, 2018 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में कंपनी के लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। कंपनी के एक अंश धारक श्री संजय, कंपनी अधिनियम, 2013 के उल्लंघन के आधार पर श्री नीरज की नियुक्ति के तरीके पर आपत्ति जताते हैं। निर्णय लें कि क्या श्री संजय की आपत्ति मान्य है? उक्त अधिनियम के तहत उपरोक्त नियुक्ति के परिणामों की भी जाँच करें।

उत्तर

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार, राजस्थान सरकार द्वारा एएमसी लिमिटेड के 25% शेयरों की हिस्सेदारी इसे सरकारी कंपनी नहीं बनाती है। इसलिए, इसे एक गैर-सरकारी कंपनी के रूप में माना जाएगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत, पहले लेखा परीक्षकों के मामले को छोड़कर, कंपनी द्वारा एक लेखा-परीक्षक की नियुक्ति आम तौर पर कंपनी के सदस्यों के साथ निहित होती है और आकस्मिक रिक्ति को भरने में जो लेखा-परीक्षक के त्यागपत्र के कारण न हुई हो, उस स्थिति में, लेखा-परीक्षक को नियुक्त करने की शक्ति निदेशक मंडल के पास निहित है। सदस्यों द्वारा नियुक्ति केवल एक सामान्य संकल्प के माध्यम से होती है और अधिनियम में कोई अपवाद नहीं बनाया गया है जिसके तहत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए एक विशेष संकल्प की आवश्यकता होती है।

अतः श्री संजय का तर्क मान्य करने योग्य नहीं है। नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत वैध है।

प्रश्न 3

ईएफ लिमिटेड ने 30 सितंबर 2019 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में कंपनी के लेखा परीक्षकों के रूप में एक व्यक्तिगत फर्म, नरेश एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को नियुक्त किया। 15 अक्टूबर, 2019 को नरेश की पत्नी कमला ने कंपनी के एक लाख रुपये के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों में निवेश किया। लेकिन नरेश एंड कंपनी कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में कार्य करना जारी रखे हुए हैं। अपनी राय व्यक्त करें।

उत्तर

लेखा-परीक्षक की अयोग्यता: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141(3)(डी)(i) के अनुसार एक व्यक्ति, या उसका रिश्तेदार या भागीदार किसी कंपनी या उसकी सहायक कंपनी या उसकी होल्डिंग या सहयोगी कंपनी का कोई सुरक्षा रखता है, और जिसके पास मतदान का अधिकार है, ऐसे व्यक्ति को कंपनी के लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति के

रिश्तेदार के पास एक लाख रुपए से अधिक अंकित मूल्य की कंपनी में सुरक्षा या ब्याज हो सकता है। जैसा कि कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के तहत निर्धारित किया गया है। यहाँ पर चार्टर्ड एकाउंटेंट श्री नरेश के पास ऐसी कोई प्रतिभूति नहीं थी। लेकिन श्रीमती कमला, उनकी पत्नी के पास ईएफ लिमिटेड के अंकित मूल्य ₹1 लाख के इक्विटी अंश थे, जो कि निर्दिष्ट सीमा के भीतर है।

और धारा 141(4) में प्रावधान है कि यदि कोई लेखा-परीक्षक अपनी नियुक्ति के बाद धारा 141 की उप-धारा 3 में निर्दिष्ट किसी भी अयोग्यता के अधीन हो जाता है, तो उसे लेखा-परीक्षक का पद खाली माना जाएगा। इसलिए, नरेश एंड कंपनी 15 अक्टूबर 2019 के बाद भी कंपनी के लेखा-परीक्षक के रूप में कार्य करना जारी रख सकती है, यानी ईएफ लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में उनकी पत्नी द्वारा किए गए निवेश के बाद भी जारी रख सकती है।

प्रश्न 4

बताएं कि निम्नलिखित दिए गए परिस्थितियों में लेखा-परीक्षक की नियुक्ति कैसे की जाएगी:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अर्थ में एक सरकारी कंपनी।
- (ii) एक सार्वजनिक कंपनी जिसके अंश धारकों में एक्सवाईजेड बैंक (एक राष्ट्रीयकृत बैंक) शामिल है, जिसके पास कंपनी की सब्सक्राइब्ड पूंजी का 18% हिस्सा है।

उत्तर

- (i) एक सरकारी कंपनी या एक सरकारी नियंत्रित कंपनी के लेखा-परीक्षक की नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के प्रावधानों द्वारा शासित होती है, जिन्हें निम्नानुसार संक्षेपित किया गया है:

प्रधान लेखा-परीक्षक भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक द्वारा निगमन की तारीख से 60 दिनों के भीतर नियुक्त किया जाएगा। और ऐसा करने में विफल रहने की स्थिति में बोर्ड अगले 30 दिनों के भीतर लेखा-परीक्षक की नियुक्ति करेगा। और निदेशक मंडल द्वारा ऐसा करने में विफल रहने पर, यह सदस्यों को सूचित करेगा, जो एक असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में 60 दिनों के भीतर लेखा-परीक्षक की नियुक्ति करेंगे, वह लेखा-परीक्षक पहली वार्षिक आम बैठक के समापन तक पद पर रहेगा।

सरकारी कंपनियों के लिए बाद के लेखा परीक्षकों के मामले में, भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक वित्तीय वर्ष की शुरुआत से 180 दिनों की अवधि के भीतर लेखा-परीक्षक की नियुक्ति करेंगे और इस प्रकार नियुक्त लेखा-परीक्षक वार्षिक आम बैठक के समापन तक अपने पद पर बने रहेंगे।

- (ii) उपर्युक्त दिए गए परिस्थिति में, एक्सवाईजेड बैंक की कुल अंश धारिता कंपनी की सब्सक्राइब्ड पूंजी का सिर्फ 18% है, यह एक सरकारी कंपनी नहीं है। अतः लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में गैर-सरकारी कंपनियों पर लागू प्रावधान लागू होंगे।

लेखा-परीक्षक को निम्नानुसार नियुक्त किया जाएगा:

- (1) कंपनी, पहली वार्षिक आम बैठक में, एक व्यक्ति या एक फर्म को एक लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त करेगी जो उस बैठक के समापन से अपनी छठी वार्षिक आम बैठक के समापन तक और उसके बाद प्रत्येक छठे बैठक के समापन तक पद धारण करेगा।
- (2) लेखा-परीक्षक की ऐसी नियुक्ति करने से पहले, ऐसी नियुक्ति के लिए लेखा-परीक्षक की लिखित सहमति, और लेखा-परीक्षक से या लेखापरीक्षकों की फर्म से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा। उन मामलों में जहाँ नियुक्ति की जानी है:

इसके अलावा, कंपनी संबंधित लेखा-परीक्षक को उसकी नियुक्ति के बारे में सूचित करेगी, और बैठक के 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के साथ ऐसी नियुक्ति का नोटिस भी दाखिल करेगी जिसमें लेखा-परीक्षक नियुक्त किया गया है।

प्रश्न 5

कंपनी अधिनियम, 2013 के आलोक में निम्नलिखित स्थितियों का परीक्षण करें

- (i) श्री आयुष जो एक चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं, को सितंबर 2018 में आयोजित कंपनी की वार्षिक आम बैठक में एक्स लिमिटेड के लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसमें उन्होंने असाइनमेंट स्वीकार किया। इसके बाद, जनवरी 2019 में वह श्री बी की परामर्श फर्म में भागीदार के रूप में शामिल हो गए। श्री बी एक्स लिमिटेड के वित्त कार्यकारी के रूप में भी काम कर रहे हैं।
- (ii) "श्री अभि", एक चार्टर्ड एकाउंटेंट, अभिमान लिमिटेड की प्रतिभूतियों को धारण कर रहा है, जिसका अंकित मूल्य ₹ 1000/- है। क्या श्री अभि, अभिमान लिमिटेड के लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य हैं?

उत्तर

- (i) प्रावधान और स्पष्टीकरण: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 (3) (c) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के किसी अधिकारी या कर्मचारी के भागीदार या रोजगार में है, कंपनी के लेखा-परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य होगा। धारा 141 की उप-धारा (4) में प्रावधान है कि एक लेखा-परीक्षक जो अपनी नियुक्ति के बाद धारा 141 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट किसी भी अयोग्यता के अधीन हो जाता है, तो यह मान लिया जाता है की उसकी कार्यकाल अवधि उस कंपनी में समाप्त हो गयी है।

निष्कर्ष: वर्तमान स्थिति में, आयुष, एक्स लिमिटेड का लेखा-परीक्षक है, कंसल्टेंसी फर्म के साथ भागीदार के रूप में शामिल हुआ, जहाँ बी भी एक भागीदार है और बी भी एक्स लिमिटेड का वित्त कार्यकारी है। इसलिए, आयुष ने खंड (3) (c) धारा 141 को आकर्षित किया है और, इसलिए, यह माना जायगा की आयुष ने अपना पद छोड़ दिया है।

- (ii) धारा 141(3)(d)(i) के अनुसार, एक लेखा-परीक्षक को लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य ठहराया जाता है यदि वह, या उसके रिश्तेदार या भागीदार के पास कंपनी या उसकी सहायक कंपनी, या उसकी होल्डिंग या सहयोगी कंपनी का कोई सिक्वोरिटी हो या हिस्सेदारी हो।

वर्तमान मामले में, श्री अभि के पास अभिमान लिमिटेड में ₹1000 के अंश हैं, इसलिए, वह अभिमान लिमिटेड के लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त के लिए पात्र नहीं हैं।

प्रश्न 6

जाँच करें कि क्या निम्नलिखित व्यक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र हैं:

- (i) "श्री प्रकाश" एक चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं और "श्री आकाश", जो "श्री प्रकाश" के रिश्तेदार हैं, "एबीसी लिमिटेड" की प्रतिभूतियां धारण कर रहे हैं। जिसका अंकित मूल्य ₹70,000/- (बाजार मूल्य ₹1, 10,000/-) है। एबीसी लिमिटेड के निदेशक श्री प्रकाश को कंपनी के लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं।
- (ii) श्री रमेश एक चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं जो एमएनपी लिमिटेड के 6 लाख रुपये के ऋणी हैं। एमएनपी लिमिटेड के निदेशक श्री रमेश को कंपनी के लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं।
- (iii) श्री कुमार की पत्नी श्रीमती केवीजे, एक चार्टर्ड एकाउंटेंट, पीआरसी लिमिटेड के स्टोर कीपर हैं। पीआरसी लिमिटेड के निदेशक श्री कुमार को कंपनी के लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं।

उत्तर

- (i) धारा 141(3)(d)(i) के अनुसार, एक लेखा-परीक्षक को लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य ठहराया जाता है यदि वह, या उसके रिश्तेदार या भागीदार के पास कंपनी या उसकी सहायक कंपनी, या उसकी होल्डिंग या सहयोगी कंपनी का कोई सिक्वोरिटी हो या हिस्सेदारी हो। इसके अलावा इस धारा के प्रावधान के अनुसार, लेखा-परीक्षक के रिश्तेदार कंपनी में प्रतिभूतियों या ब्याज को अंकित मूल्य की 1,00,000 रुपये से अधिक नहीं रख सकते हैं। वर्तमान मामले में, धारा 141 (3)(d)(i) के परंतुक के तहत, श्री आकाश (श्री प्रकाश, एक लेखा-परीक्षक के रिश्तेदार) के पास एबीसी लिमिटेड की प्रतिभूतियां हैं, जिसका अंकित

मूल्य ₹70,000 (बाजार मूल्य ₹1,10,000) है, जो कि आवश्यकता के अनुसार सीमा के भीतर है। इसलिए, श्री प्रकाश एबीसी लिमिटेड के लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं होंगे।

- (ii) धारा 141(3)(d)(ii) के अनुसार, एक अंकेक्षक को लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है यदि वह या उसका रिश्तेदार या भागीदार कंपनी, या उसकी सहायक कंपनी, या उसकी होल्डिंग या सहयोगी कंपनी या सहायक कंपनी या ऐसी होल्डिंग कंपनी की, 5 लाख रुपये से अधिक के लिए ऋणी है। तत्काल मामले में, श्री रमेश को एमएनपी लिमिटेड के लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा क्योंकि वह एमएनपी लिमिटेड के 6 लाख रुपये के ऋणी थे।
- (iii) धारा 141(3)(f) के अनुसार, एक लेखा-परीक्षक को लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है, यदि उस व्यक्ति का रिश्तेदार निदेशक है या कंपनी के निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के रूप में कार्यरत वर्तमान मामले में, चूँकि, श्रीमती केवीजे श्री कुमार (चार्टर्ड एकाउंटेंट) की पत्नी हैं और पीआरसी लिमिटेड के स्टोर कीपर (निदेशक या केएमपी नहीं) हैं, इसलिए श्री कुमार को लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।

प्रश्न 7

A लिमिटेड के निदेशक मंडल ने अपने सांविधिक लेखा-परीक्षक से कंपनी के आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने के लिए उपयुक्त वित्तीय सूचना प्रणाली के डिजाइन और कार्यान्वयन के असाइनमेंट को स्वीकार करने का अनुरोध किया। ए लिमिटेड के सांविधिक लेखा-परीक्षक के रूप में, इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के परिणामों, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए, आप इस प्रस्ताव को कैसे लेंगे?

उत्तर:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 144 के अनुसार, इस अधिनियम के तहत नियुक्त एक लेखा-परीक्षक कंपनी को केवल ऐसी अन्य सेवाएं प्रदान करेगा जो निदेशक मंडल या लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित हैं। लेकिन ऐसी सेवाओं में किसी भी वित्तीय सूचना प्रणाली का डिजाइन और कार्यान्वयन शामिल नहीं होगा।

उक्त उदाहरण में, A लिमिटेड के निदेशक मंडल ने अपने सांविधिक लेखा-परीक्षक से कंपनी के आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने के लिए उपयुक्त वित्तीय सूचना प्रणाली के डिजाइन और कार्यान्वयन के असाइनमेंट को स्वीकार करने का अनुरोध किया। उक्त प्रावधान के अनुसार उक्त सेवा पूर्णतः प्रतिबंधित है।

यदि सांविधिक लेखा-परीक्षक असाइनमेंट स्वीकार करता है, तो वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 147 में निर्दिष्ट दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित करेगा।

उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में, हम सांविधिक लेखा-परीक्षक को सलाह देंगे कि वे उपरोक्त निर्दिष्ट कार्य को न करें।